सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 05 फाल्गुन, 1947 (श०) / 24 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 227

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	104
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	08
(3)	कला एवं संस्कृति विभाग	..	..	08
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	09
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	09
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	02
(7)	परिवहन विभाग	..	..	12
(8)	खेल विभाग	..	..	22
(9)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	07
(10)	उच्च शिक्षा विभाग	..	..	43
(11)	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	..	..	01
(12)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	02
			कुल योग --	227

रोप-वे का निर्माण

''क''-*911. श्री नंद किशोर राम (क्षेत्र संख्या-02 रामनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड के गोबर्धना वन क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर धाम पर्यटन स्थल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोमेश्वर धाम आस्था का केन्द्र होने के साथ-साथ सुन्दर वन क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ हमेशा शैलानियों का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धाम में आवागमन के लिए रोप-वे के निर्माण के साथ-साथ उक्त धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1970. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, परसाही हाट एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, परसागढ़ी उत्तर में चहारदीवारी नहीं होने से बाहरी लोगों द्वारा विद्यालय के मैदान का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों के मैदान की चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*1971. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजकीय उच्च विद्यालय, बेलामेघ, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर में वर्ग 10+2 की पढ़ाई वर्ष 2013 से प्रारंभ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजकीय उच्च विद्यालय (10+2), बेलामेघ, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर में लगभग 1100 विद्यार्थी हैं एवं पठन-पाठन कार्य हेतु सिर्फ 8 वर्ग कक्ष है, जिसके कारण छात्रों को असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त 10+2 विद्यालय में 6-10 नये कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान देना

*1972. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नियमावली, 1991 के तहत नियुक्त वर्ष 1994 बैच के अप्रशिक्षित शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान नियुक्ति तिथि से दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1999-2000 बैच के नियुक्त स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान नियुक्ति की तिथि से नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 1999-2000 बैच के नियुक्त स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान नियुक्ति की तिथि से देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-सदन द्वारा पर्यटन विभाग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित।

चहारदीवारी का निर्माण

*1973. मो0 सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज प्रखंड में दौला हाई स्कूल के मैदान में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण पशु घूमते रहते है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के मैदान में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखंड के दौला हाई स्कूल में पूर्व से निर्मित 4 फीट ऊँचाई वाले 205 फीट लम्बे चहारदीवारी को ऊँचा करने की आवश्यकता है । विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालय में आधारभूत संरचना तथा नया चहारदीवारी निर्माण की आवश्यकता संबंधी विवरणी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है । जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक BEP-161, दिनांक 31 जनवरी, 2026 द्वारा प्रबंध निदेशक BSEIDC, पटना से चहारदीवारी निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है । BSEIDC, पटना के द्वारा उपलब्ध कराये प्राक्कलन के आधार पर विभाग द्वारा राशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य अगले छः माह में करा लिया जायेगा ।

भवन का निर्माण

*1974. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बथनाहा विधान सभा अन्तर्गत बथनाहा प्रखंड के बखरी पंचायत स्थित ढोढराहा ग्राम के वार्ड नं0 12 में संचालित प्राथमिक विद्यालय फूस एवं बाँस के ढांचे में कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं होने से उसमें पढ़ रहे बच्चों को पठन-पाठन के लिये उत्तम एवं सही वातावरण नहीं मिलने से शिक्षण कार्य एवं बच्चों में पठन-पाठन के लिये उचित माहौल नहीं बन पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय के नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1975. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देने तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वजीरगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वजीरगंज प्रखंड के सकरदास तथा मानपुर प्रखंड के भुसुण्डा मैदान में आजतक स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवाएँ प्रारंभ कराना

*1976. श्री रोमित कुमार (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय मोहड़ा एवं अतरी से जिला मुख्यालय गयाजी के लिए सरकारी बस/राज्य परिवहन सेवाएँ अपर्याप्त हैं, जिससे आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं मरीजों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों से गयाजी के लिए अतिरिक्त सरकारी बस सेवाएँ प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय मोहड़ा एवं अतरी से गयाजी मार्ग अधिसूचित नहीं है ।

(2) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है ।

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*1977. श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा क्षेत्र में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में संचालित जारंग उच्च विद्यालय परिसर में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जारंग उच्च विद्यालय के उपलब्ध जमीन पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1978. श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के महिषी प्रखंड के सिरवार-वीरवार पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, विजवार में विद्यालय में भवन, वर्गकक्ष, रसोई घर एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण छात्रों को विद्यालय में बैठकर पढ़ाई करने में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में भवन, वर्गकक्ष, रसोई घर एवं चहारदीवारी का निर्माण करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*1979. श्री नितेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिले के अन्तर्गत कस्बा विधान सभा क्षेत्र के कस्बा ग्रामीण प्रखंड एवं श्रीनगर प्रखंड में कोई डिग्री महाविद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परमिट निर्गत करना

*1980. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ से बनमनखी के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा महिला यात्रियों के लिए पिंक बस आवंटित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पिंक बस का पूर्णियाँ कमिश्नरी से परमिट एवं समय सारणी का निर्धारण नहीं होने के कारण बस का संचालन अनियमित है, जिससे महिला यात्रियों को यात्रा करने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिला यात्रियों के हित में पिंक बसों के सुगम संचालन के लिए पूर्णियाँ कमिश्नरी से परमिट एवं समय सारणी निर्धारित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1981. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड मोहनपुर में पेशवार तथा बेलारपुर सहित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में वर्गकक्ष/भवन के अभाव में मध्य विद्यालय के वर्गकक्ष में संचालित किए जा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च विद्यालयों की स्थापना के बाद भी उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए अलग से भवन का निर्माण नहीं किया गया है जिससे पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च विद्यालय के लिए अलग से भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातक महाविद्यालय की स्थापना

*1982. श्री अमित कुमार (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के अन्तर्गत आने वाले तीन प्रखंडों बेलसंड, परसौनी (सीतामढ़ी) और तरियानी (शिवहर) में उच्च शिक्षा हेतु सरकारी डिग्री महाविद्यालय की भारी कमी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तीनों प्रखंडों में कबतक स्नातक महाविद्यालय स्थापित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1983. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के संदेश प्रखंड अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिहरा का चहारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है तथा विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्षों की कमी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी एवं अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

*1984. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल एक प्रमुख सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्र होने के बावजूद यहाँ तकनीकी शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण स्थानीय मेधावी छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय नेपाल या अन्य सुदूर स्थानों में जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ''सात निश्चय 2'' के तहत 'युवा शक्ति-बिहार की प्रगति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्सौल जैसे घनी आबादी वाले अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना अनिवार्य है ;

(3) क्या सरकार पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल अनुमंडल में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करते हुये एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक, मोतिहारी संचालित है ।

राजकीय पॉलिटेक्निक, मोतिहारी की प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता 360 है । इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र-छात्राएँ भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं ।

वर्तमान में पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत रक्सौल अनुमंडल में नये राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि ''सात निश्चय 2'' के तहत 'युवा शक्ति-बिहार की प्रगति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्सौल अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करने का सरकार के समक्ष कोई योजना नहीं थी ।

(3) कंडिका 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

पॉलिटेक्निक एवं अन्य तकनीकी संस्थान स्थापित करना

*1985. डॉ0 प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ओबरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दाउदनगर तथा ओबरा में वर्तमान में कोई पॉलिटेक्निक अथवा पर्याप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों के अभाव में इस क्षेत्र के युवाओं को उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ओबरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दाउदनगर एवं ओबरा में पॉलिटेक्निक एवं अन्य तकनीकी संस्थान स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन वर्तमान में औरंगाबाद जिला के देव अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक, औरंगाबाद संचालित है ।

राजकीय पॉलिटेक्निक, औरंगाबाद की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 360 है । इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र-छात्राएँ भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं ।

वर्तमान में औरंगाबाद जिला के ओबरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दाउदनगर तथा ओबरा में नये राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

(2) कंडिका 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3) कंडिका 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*1986. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से वहां पढ़ने वाले हजारों लड़कियों तथा गरीब बच्चों को दूर आवागमन एवं शैक्षणिक कार्य में बहुत कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की कैबिनेट स्वीकृति के अनुसार राज्य के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनाने के निर्णय को सहमति प्रदान की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड में कबतक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1987. श्री रंजन कुमार (क्षेत्र संख्या-94 मुजफ्फरपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत द्वारिकानाथ उच्च विद्यालय, महिला शिल्प कला भवन उच्च विद्यालय सहित कई अन्य विद्यालयों के भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है जिसके कारण भवनों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार जर्जर विद्यालय भवनों के शीघ्र जीर्णोद्धार के साथ चहारदीवारी निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*1988. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के हर प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना पूर्व में थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राघोपुर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय कबतक खोलना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अधूरा निर्माण कार्य कराना

*1989. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड छेतल पंचायत के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य 2015 में प्रारंभ हुआ था, जो अभीतक पूर्ण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्लस टू उच्च विद्यालय सड़क किनारे अवस्थित है और विद्यालय भवन का चहारदीवारी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों के साथ हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधूरे निर्माण कार्य के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुये अधूरा निर्माण कार्य को कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण

*1990. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के प्रखंड-अकोढ़ी गोला के ग्राम-नवाडीह में महिला महाविद्यालय नहीं रहने से हजारों लड़कियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में महिला महाविद्यालय-सह-छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*1991. प्रो0 नागेन्द्र राउत (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड प्रखंड के नगर पंचायत सुरसंड पी0 एम0 श्री योजनान्तर्गत बी0 आर0 साही बालिका +2 उच्च विद्यालय में लगभग छात्राओं की संख्या 1600 से अधिक है तथा शिक्षकों की संख्या काफी कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कक्षा 6-8 के लिए मात्र 1 शिक्षक, 9-10 के लिए 5 शिक्षक एवं 11-12 के लिए मात्र 1 ही शिक्षक पदस्थापित हैं। कम्प्यूटर शिक्षक एवं कई विषय के शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कालबद्ध प्रोन्नति

*1992. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विशिष्ट माध्यमिक शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्कालयाध्यक्षों को कालबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान नहीं है जिससे अनेकों शिक्षक नियुक्ति के पश्चात् एक ही पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार विशिष्ट माध्यमिक शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के निमय-9 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को 08 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। उक्त नियमावली के आलोक में ही विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति का लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्क्रमित कराना

*1993. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखण्ड के ग्राम-पंचायत परसाही पूर्वी पंचायत के ग्राम-बलानपट्टी में मध्य विद्यालय नहीं है, जिसके कारण बच्चों को माध्मिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु गाँव से लगभग 7 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खुटौना प्रखण्ड के ग्राम पंचायत परसाही पूर्वी के ग्राम-बलानपट्टी स्थित वार्ड नं0-13 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय में परिवर्तन करने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1994. श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी (क्षेत्र संख्या-211 नोखा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत 211 नोखा विधान सभा के प्रखण्ड मुख्यालय नोखा में स्टेडियम नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को खेल के प्रशिक्षण हेतु अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, जिसके कारण खिलाड़ियों में काफी निराशा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक प्रखण्ड मुख्यालय नोखा में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

*1995. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के 26000 रिक्त पदों की जानकारी सरकार और विभाग ने कई बार सार्वजनिक की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षक भर्ती के लिए TRE-4 की बहाली के साथ कंप्यूटर शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार TRE-4 की बहाली में कंप्यूटर शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*1996. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हसनगंज प्रखंड एवं कटिहार प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई हेतु कटिहार नगर में अवस्थित डिग्री महाविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है जिससे छात्र-छात्राओं का अधिकांश समय आवागमन में ही व्यतीत हो जाता है विशेषकर वर्षा काल एवं ठंड के मौसम में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1997. श्री नीरज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-45 छातापुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत छातापुर विधान सभा क्षेत्र में आजतक किसी भी प्रकार का राजकीय खेल स्टेडियम/खेल परिसर उपलब्ध नहीं है, जिससे क्षेत्र के युवाओं एवं खिलाड़ियों को खेल अभ्यास एवं प्रतियोगिताओं हेतु अन्य जिलों में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय चालू कराना

*1998. श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी(क्षेत्र संख्या-145 साहेबपुर कमाल)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय बनकर तैयार है, लेकिन पठन-पाठन कार्य चालू नहीं होने से हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलिया अनुमंडल के सरकारी डिग्री महाविद्यालय में पठन-पाठन नये सत्र से चालू कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*1999. श्री राज कुमार राय (क्षेत्र संख्या-140 हसनपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत सिंघिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में निर्णय के आलोक में उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2000. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के रा० मध्य विद्यालय, मढ़ौरा के भवन एवं चहारदीवारी जर्जर हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में संकूल संसाधन केन्द्र भी संचालित है, भवन जर्जर होने के कारण वर्षा ऋतु में छात्र एवं छात्राओं के साथ-साथ शिक्षकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उक्त विद्यालय का प्राक्कलन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है एवं विगत चार माह से बी०एस०ई०आई०डी०सी० के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिये लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय मध्य विद्यालय, मढ़ौरा के लम्बित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैठक ससमय कराना

*2001. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) द्वारा विगत छः माह से बैठक नहीं होने के कारण निजी वाहन चालकों को परमिट ससमय नहीं मिलने से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार निजी वाहन चालकों को नुकसान से बचाने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक ससमय कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक । उल्लेखनीय है कि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली,1992 के नियम-65 के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की बैठक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में किया जाना प्रावधानित है, अर्थात एक वर्ष में चार बैठक किया जाना अपेक्षित है ।

उक्त के आलोक में अवगत कराना है कि वर्ष, 2025 में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक दिनांक 09 जनवरी, 2025, 05 मार्च, 2025, 20 मार्च, 2025, 16 अप्रील, 2025, 29 अप्रील, 2025 एवं 14 मई, 2025 को आयोजित की गयी थी । उक्त के पश्चात् राज्य परिवहन आयुक्त का पद रिक्त रहने एवं बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के मद्देनजर राज्य परिवहन प्राधिकार (STA) की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी ।

वर्तमान में वाहन स्वामियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2026 को आयोजित की गयी है एवं अगली बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्रस्तावित है । बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-65 के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में आयोजित की जायेगी ।

कक्षा भवन का निर्माण

*2002. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, सिघिंया, दिवानगंज (ईस्ट ब्लॉक) में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1200 से अधिक नामांकित छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु वर्ग कक्षों की भारी कमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के लिये एक भी समुचित वर्ग कक्षों का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 400 से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन के लिये 10 अतिरिक्त वर्ग कक्षाओं के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2003. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत राजकीय उच्च विद्यालय, मठलोहियार भवन विहीन है जहां छात्र-छात्राओं की संख्या अत्यधिक होने से कक्षाएं संचालित करने, शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्षा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*2004. श्रीमती श्वेता गुप्ता (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत पिपराही प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, मझौरा को विद्यालय भवन निर्माण की निविदा विगत दो वर्ष पूर्व ही जारी की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन निर्माण कार्य दो वर्षों से ठप रहने के कारण शिक्षा व्यवस्था एवं छात्रों के पठन-पाठन के संचालन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2005. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड में मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके +2 विद्यालय में परिणत किया गया, परन्तु अपग्रेड विद्यालयों का भवन नहीं बनाये जाने से बच्चों के पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उत्क्रमित +2 विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शोषण से बचाना

*2006. श्रीमती रेणु देवी (क्षेत्र संख्या-08 बेतिया)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1996 में विभाग द्वारा नियमावली बनाया गया जिसमें योग्य दस्तावेज लेखकों द्वारा दस्तावेज लेखन का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुनः सरकार ने वर्ष 2010 में जनहित में मार्डल कोड लागू कर हस्तलेखन को बंद कर टंकित दस्तावेजों का निबंधन करने का निर्णय लिया जिसके चलते साइबर कैफे वाले गलत तरीके से दस्तावेज बना रहे हैं एवं कुछ बिचौलियों द्वारा वसूली की जा रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2012 में निबंधन सॉफ्टवेयर प्रक्रिया से दस्तावेज का निबंधन प्रारंभ किया गया है जिसका दुरूपयोग साइबर कैफे संचालक गलत तरीके से कर रहे हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सिटीजन लौगिन की व्यवस्था कर साइबर कैफे से बनाये दस्तावेजों पर अंकुश लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन वृद्धि का विचार

*2007. मो० कमरुल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024 के अंतर्गत नवनियुक्ति प्रधान शिक्षकों का वेतनमान 30,500 रुपये प्रतिमाह (अराजपत्रित) प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया है जबकि वर्ष 2003 एवं 2006 बैच के नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों से प्रतिमाह अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नियोजित से पदोन्नति पाकर विद्यालय अध्यापक बने 2003 एवं 2006 बैच के शिक्षकों का जनवरी 2021 से 2026 के बीच मूल वेतन में 35 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जबकि प्रधान शिक्षक नियमावली-2024 के अधीन बहाल किये गये प्रधान शिक्षकों के वेतन में अबतक कोई वृद्धि नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2008. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भभुआ जिला के रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड दुर्गावती एवं नुआँव में खेल स्टेडियम नहीं रहने के कारण खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में एक-एक स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2009. श्री अजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-95 काँटी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिले के काँटी व मड़वन प्रखंड में कोई स्नातक महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन दोनों प्रखंडों में स्नातक महाविद्यालय नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए अधिक दूरी तय करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2010. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत प्रखंड पुनपुन पंचायत केवरा के ग्राम कमलपुरा में, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कमलपुरा, जिसमें छात्रों की संख्या 100 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण यह विद्यालय लाल बहादुर उच्च विद्यालय मखदुमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि ग्राम-बेला से 3 कि0मी0 की दूरी पर है जिससे छात्रों को आने-जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय भवन का निर्माण कराते हुए उस विद्यालय का वापस ग्राम-कमलपुरा में पहले की भाँति पठन-पाठन कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय स्थापित कराना

*2011. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सराकर हर प्रखंड में अंगीभूत कॉलेज खोलना चाहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शाहकुंड प्रखंड में अंगीभूत महाविद्यालय स्थापित कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*2012. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत पहाड़ पर स्थित गाँवों में वन संपदा जैसे तियार से चीरौंजी, शाल पत्ता से प्लेट निर्माण एवं महुआ फल से लड्डु बनाने हेतु इको विकास समिति का गठन होना था जो अबतक नही हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी कार्यो हेतु मशीन एवं अन्य उपकरण का क्रय किया गया है, लेकिन अधिष्ठापन नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोषी पदाधिकारी पर जाँच कराकर कार्रवाई कराते हुए इको विकास समिति का गठन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2013. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिले के इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एकंगरसराय प्रखंड के सोनियावां पंचायत के महादलित टोले और इस्लामपुर प्रखंड के बौरी पंचायत के महादलित टोले में सामुदायिक शेड/सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि ये टोले अहर्ता पूरी करते है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महादलित टोलों में सामुदायिक शेड/सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन एवं शेड का निर्माण

*2014. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत हराज नुरूलाहपुर अंतर्गत ग्राम-गोढ़ीया महादलित बस्ती में करीब 100 घर महादलित परिवार हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में सामुदयिक भवन एवं शेड नहीं है एवं खाता नं0 879, खेसरा नं0 4679, रकबा 60 डिसमील (12 कट्ठा) भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोला में सामुदायिक भवन एवं शेड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत हराज नुरूलाहपुर अंतर्गत ग्राम-गोढ़ीया महादलित बस्ती में कुल अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या 78 तथा कुल जनसंख्या 390 है जो सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित मानक (100 परिवार/500 की आबादी) से कम है तथा चिरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत हराज नुरूलाहपुर अंतर्गत ग्राम-गोढ़ीया में थाना सं0 133, खाता सं0 879, खेसरा नं0 4679, रकबा 60 डी0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैर-मजरूआ आम किस्त रास्ता व नाला करके दर्ज है। अतः उक्त भूमि पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण

*2015. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के आमस प्रखंड के ग्राम पंचायत आमास के वार्ड नं0 12 के भुपनचक में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 102 सरकारी भवन में नहीं चलता है जिससे सहायिका और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 102 का सरकारी भवन निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। आमस प्रखंड के ग्राम पंचायत आमस के वार्ड सं0 12 के भुपनचक में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 102 का अपना सरकारी भवन नहीं है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा भूमि चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु अंचलाधिकारी आमस को पत्र भेजा गया है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य कराया जायेगा। वर्तमान में उक्त केन्द्र का संचालन मध्य विद्यालय भुपनचक में किया जा रहा है।

भवन का निर्माण

*2016. मो0 गुलाम सरवर (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बायसी प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बांसबारी, जो 2017 में बाढ़ की वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, उसे लगभग 3 कि0मी0 की दूरी पर मध्य विद्यालय शिमलबाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है, इससे बच्चों को प्रत्येक दिन राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) पार करके विद्यालय जाना पड़ता है, जिससे गंभीर दुर्घटना की आंशका बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2017. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कहलगांव एन0टी0पी0सी0 से फ्लाई ऐश ढोने वाले ट्रकों (10, 12, 14 एवं 16 चक्का) द्वारा निर्धारित क्षमता (18-34) टन के विरुद्ध (60-60) टन या उससे अधिक की ओवरलोडिंग कर परिहवन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से कहलगांव क्षेत्र की सड़कें बुरी तहर क्षतिग्रस्त हो रही है और सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कहलगांव भागलपुर मार्ग पर 'ऑनलाइन रोड वे ब्रिज' या 'मोशन वे ब्रिज सिस्टम' लगाने और ओवरलोडिंग करने वाले ट्रांसपोर्टरों रोड 'वे-ब्रिज सिस्टम' लगाने और ओवरलोडिंग करने वाले ट्रांसपोर्टरों एवं संबंधित अधिकारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। फ्लाई ऐश ढोने वाले 10, 12 14 एवं 16 चक्के वाले ट्रकों का सकल वाहन भार (GVW) क्रमशः 28 टन, 35 टन, 42 टन एवं 47.5 टन है। इससे अधिक की लोडिंग पर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत 3 माह में 135 से अधिक भारी वाहनों पर शमन किया जा चुका है जिसमें काफी संख्या में फ्लाई ऐश लदे वाहनों पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है।

(2) कंडिका 1 के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में आहूत बैठक में कार्यकारी निदेशक, NTPC कहलगांव की उपस्थिति में नये Weighing मशीन एवं अन्य उपकरणें के सहयोग से इस समस्या का निदान हेतु निर्णय लिया गया। इस संबंध में परिवहन कार्यालय के ज्ञापांक 1582, दिनांक 11 सितम्बर, 2023 द्वारा NTPC कहलगांव प्रबंधन को निदेशित किया गया लेकिन NTPC द्वारा कार्रवाई अभीतक लंबित है।

स्टेडियम का निर्माण

*2018. श्री महेश पासवान (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगियांव विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में एक भी सरकारी खेल मैदान/स्टेडियम नहीं है, जिससे क्षेत्र के युवा, छात्र एवं खिलाड़ी प्रतिभा होते हुये भी अभ्यास एवं प्रतियोगिता से वंचित है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदान/स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की कमी

*2019. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के पहाड़पुर मध्य विद्यालय में कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें लगभग 350 छात्र/छात्राओं के नामांकन के बावजूद वर्तमान में मात्र तीन शिक्षक पदस्थापित है, जिससे छात्र/छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में स्वीकृत पद के अनुरूप छात्र/छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों को पदस्थापन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2020. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शाहपुर प्रखंड के झौवा बेनवलिया पंचायत स्थित राजकीय +2 उच्च विद्यालय में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण, विद्यालय के खेल मैदान एवं परिसर पर स्थानीय असामाजिक लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा, अनुशासन एवं पठन-पाठन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय परिसर को अतिक्रमण से मुक्त कराकर विद्यालय परिसर का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2021. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत प्रखंड बैसा के रौटा बाजार में कम उम्र के लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रकार के खुलेआम कुकृत्य से समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाजार में चल रहे अवैध वेश्यावृति के धंधा को पूर्ण रूप से बंद करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में जिला अन्तर्गत प्रखंड बैसा के रौटा बाजार में कम उम्र के लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेलने एवं अनैतिक व्यापार का संचालन होने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी पुष्ट सूचना/आसूचना नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना/आसूचना प्राप्त होती है तो पुलिस के द्वारा तुरंत अनुवर्ती वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

(2) अस्वीकारात्मक । वर्तमान में जिला अन्तर्गत प्रखंड बैसा के रौटा थानान्तर्गत अनैतिक व्यापार का संचालन होने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी पुष्ट सूचना/आसूचना नहीं है। ऐसे में दुष्प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(3) उपरोक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड बैसा के रौटा बाजार में अनैतिक व्यापार का संचालन होने से संबंधित कोई सूचना नहीं है। विगत 03-04 वर्षों के दौरान रौटा थानान्तर्गत अनैतिक व्यापार से संबंधित प्राप्त निविष्टयों (Inputs) के आलोक में विहित नियमों का

पालन करते हुये वैसे सभी संबंद्ध स्थलों पर छापामारी संचालित की गयी जिसके उपरांत रौटा थाना कांड संख्या 41/22, 115/22, 89/23 एवं 118/24 में भारतीय दंड विधान एवं अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1956 के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुये कुल 17 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अन्वेषण के क्रम में प्राप्त सबूतों के आधार पर आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। इन अभियुक्तों की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों पर नजदीकी निगरानी रखी जाती है। पूर्णियाँ पुलिस अनैतिक व्यापार तथा इसके किसी भी स्वरूप की रोक-थाम एवं इसे निर्बन्धित करने हेतु कृत संकल्पित है।

कार्रवाई करना

*2022. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर के बड़हरी में स्नातक महाविद्यालय नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को कोचस या करगहर जाना पड़ता है, जो काफी दूर है तथा अधिकांश छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बड़हरी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*2023. श्री आसिफ अहमद (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार 56 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी सेवकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें सभी प्रकार के प्रशिक्षण से विमुक्त किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की आवासीय इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के दौरान 6 बजे पूर्वा० में होने वाले पी०टी०/योगा क्लास में ही डायट, विक्रम, पटना में अम्बुज कुमार, शिक्षक की मृत्यु ठंठ के कारण नवम्बर, 2025 मे हो गयी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 56 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को भी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये आवासीय प्रशिक्षण/योगा क्लास से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बी०एड० और डी०एल०एड० कॉलेज खोलना

*2024. श्री मो० तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में बी०एड० और डी०एल०एड० कॉलेज नहीं होने के कारण उक्त ज़िला के छात्रा-छात्राओं बी०एड० और डी०एल०एड० की डिग्री हेतु अररिया सहित अन्य जिलों डिग्री के लिये जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं सहित समय की भी बर्बादी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला में बी०एड० और डी०एल०एड० कॉलेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जंगलों की घेराबंदी

*2025. श्री समृद्ध वर्मा (क्षेत्र संख्या-09 सिकटा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के मैनाटाड़ प्रखंड के उत्तरी भाग के 4-5 पंचायतों (भंगहा, रामपुर, चौहटा व अन्य) से लगे घने जंगलों की घेराबंदी नहीं हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उन क्षेत्रों के जंगलों की घेराबंदी नहीं होने से जंगली जानवरों, रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं जो जान-माल को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मैनाटाड़ प्रखंड के उक्त 4-5 पंचायतों से लगे घने जंगलों की घेराबंदी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक सूची में जोड़ना

*2026. श्री इन्द्रदेव सिंह (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत बड़हरिया प्रखंड का सुप्रसिद्ध यमुनागढ़ देवी माँ स्थान कोईरीगांवा, बड़हरिया में अवस्थित है, जिसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुयी है एवं बहुत दूर से श्रद्धालु यहां पूजा-पाठ एवं दर्शन के लिये आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक यमुनागढ़ देवी माँ स्थान को पर्यटक सूची में जोड़ते हुये राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2027. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गुरू शिष्य परम्परा के तहत गुरू शिष्य का चयन कराने का वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अभीतक गुरू एवं शिष्य का चयन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में गुरू शिष्य का चयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) एवं (3) मुख्यमंत्री गुरू शिष्य परम्परा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने हेतु विभागीय पत्रांक 734, दिनांक 08 अगस्त, 2025 पत्रांक 769, दिनांक 20 अगस्त, 2025 एवं पत्रांक 866, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 द्वारा दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया, जिसके आलोक में अपेक्षाकृत कम आवेदन प्राप्त हुये। पुनः विभागीय पत्रांक 93, दिनांक 28 जनवरी, 2026 द्वारा दैनिक समाचार-पत्रों में आवेदन आमंत्रित किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा गुरूओं के चयन की कार्रवाई की जायेगी।

आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण

*2028. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखण्ड नौबतपुर, पंचायत सावरचक, ग्राम-श्रीवर में आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन निजी आवास पर हो रहा है, जबकि उक्त वर्णित ग्राम में खाता सं० 120, खेसरा सं० 112, थाना नं० 173 गैर-मजरुआ आम भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित ग्राम में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र को वर्णित गैर-मजरुआ आम भूमि पर निर्माण कराकर संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*2029. डॉ० सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के बिहारशरीफ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रहुई प्रखंड में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक रहुई प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष एवं चहारदीवारी का निर्माण

*2030. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड अन्तर्गत चोरमा पंचायत में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अकौना में भवन एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण

छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भवन तथा चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिगृहित करना

*2031. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार की नई नीति के तहत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंडान्तर्गत पिलखी पंचायत में पं० यमुना कार्जी डिग्री महाविद्यालय (अनुदानित) स्थापित है जिसके पास पर्याप्त भूमि एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में पं० यमुना कार्जी डिग्री महाविद्यालय को ही अधिगृहित कर सभी सरकारी सुविधाएँ प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी और गेट का निर्माण

*2032. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत चितौड़िया पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कर्मण टोला चितौड़िया की चहारदीवारी एवं गेट नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां चहारदीवारी और गेट का निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2033. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशनपुर तथा प्राथमिक विद्यालय, मकरई का भवन जर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं होने के कारण विद्यालय परिसर का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित दोनों विद्यालयों में भवन निर्माण तथा चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*2034. श्री संजय कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-03 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नरकटियागंज प्रखंड अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय, हरदी टेढ़ा, नरकटियागंज का 9 कमरों का भवन निर्माण कार्य विगत 5 (पाँच) वर्षों से बाधित है तथा विद्यालय के प्रांगण में भूमि उबड़-खाबड़ तथा चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त +2 विद्यालय के भवन मानक के अनुरूप कबतक निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*2035. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा प्रखंड में अवस्थित भदौला पंचायत में भदौला उच्च विद्यालय है जिसमें कमरा कम होने की वजह से दो शिफ्ट में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन का कार्य कराया जा रहा है, जिससे कारण वहां के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं के अनुपात में पर्याप्त संख्या में वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2036. श्रीमती अश्वमेध देवी (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत समस्तीपुर प्रखंड के छतौना पंचायत वार्ड संख्या 10 में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण अभीतक हो पाया है, विद्यालय प्रांगण में एक पोखर भी स्थित है तथा विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त वर्ग कक्ष उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण एवं विद्यालय प्रांगण स्थित पोखर के सौंदर्यीकरण हेतु विभागीय स्तर पर कोई योजना स्वीकृत या प्रस्तावित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण के साथ पोखर सहित विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का पुनर्निर्माण

*2037. श्री मिथुन कुमार (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत नाथनगर प्रखंड के विशनपुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, कंचन तथा प्राथमिक विद्यालय, परमानंद अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय, परमानंद का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण प्राथमिक विद्यालय, कंचन में तीन कमरों में समायोजित कर संचालित किये जाने से छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों के साथ भवन का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*2038. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड रामगढ़वा में डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके कारण यहाँ प्रतिवर्ष 4000 से अधिक छात्र/छात्राओं को इंटर स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु 5 एकड़ से अधिक जमीन प्रखंड मुख्यालय से 1 कि०मी० की दूरी पर सिसवनिया बेसिक स्कूल में है जो नेशनल हाईवे और पीच सड़क से जुड़ा हुआ स्थान डिग्री कॉलेज खोलने की जमीन संबंधित सभी शर्तें को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित बेसिक स्कूल के प्रांगण में डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बेगूसराय में ए०टी०एस० टेस्ट प्रारंभ कराना

*2039. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि परिवहन विभाग के द्वारा बेगूसराय के सभी व्यावसायिक वाहन का ए०टी०एस० फिटनेस टेस्ट दिनांक 01 जनवरी, 2026 से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब

सभी तरह के वाहन स्वामी को ए०टी०एस० फिटनेस टेस्ट कराने हेतु 150 कि०मी० की दूरी तय कर पटना आना पड़ता है, जिससे वाहन स्वामी को समय के साथ-साथ आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ए०टी०एस० फिटनेस टेस्ट जनहित में जिला मुख्यालय, बेगूसराय में ही कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। सम्प्रति बिहार राज्य में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस जांच हेतु 6 जिला यथा पटना, दरभंगा, भागलपुर, वैशाली, नालंदा एवं रोहतास में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना की जा चुकी है।

राज्य के अन्य जिला में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस जांच हेतु 20 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना के लिए प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र (PRC) निर्गत किया जा चुका है।

बेगूसराय जिला में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना हेतु विभागीय पत्रांक 620, दिनांक 27 जनवरी, 2026 द्वारा प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र (PRC) निर्गत किया जा चुका है।

महाविद्यालय खोलना

*2040. श्री ललन राम (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर डिग्री महाविद्यालय नहीं होने से छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड देव के डुमरी लाइन में एवं नवीनगर के टंडवा में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2041. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड अंतर्गत मनसारा पंचायत के मनसारा गाँव में स्थित मध्य विद्यालय में तीन कमरे होने के बावजूद उच्च विद्यालय का संचालन किया जा रहा है तथा उक्त विद्यालय के भवन निर्माण के लिए यहाँ भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बरगांव स्थित मध्य विद्यालय पंचायत के मध्य में स्थित है एवं बरगांव में उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त उपलब्ध भूमि पर उच्च विद्यालय संचालन एवं भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*2042. श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय प्रखंड स्तर पर स्नातक महाविद्यालय खोलने का कार्य कर रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कटिहार जिला अंतर्गत कदवा विधान सभा क्षेत्र के कदवा एवं डंडखोरा प्रखंड में कॉलेज के निर्माण का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*2043. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रभारी प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय, गोपालगंज के पत्रांक फा-43046/2025-28/ के०वि०-गोपालगंज / 1202-03, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, पटना विभाग के पत्रांक का०-280112/2025 केविस (पस) प्रशा/ 15347-48, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 केन्द्रीय विद्यालय, गोपालगंज के स्थायी भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 4.63 एकड़ भूमि के नि:शुल्क निबंधन का अनुरोध किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समाहर्ता-सह-जिला निबंधन गोपालगंज द्वारा पत्रांक 15/नि०, दिनांक 02 जनवरी, 2026 द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के केन्द्रीय विद्यालय, गोपालगंज के स्थायी भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार से प्रस्तावित 4.63 एकड़ भूमि के नि:शुल्क निबंधन हेतु पत्र लिया गया था। जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नि:शुल्क निबंधन हेतु सहमति कबतक देने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*2044. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 11/ योजना 18-1/2021 (अंश) 667, दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा गयाजी जिला के प्रखंड कोंच स्थित पंचायत पुरसावाँ के अंतर्गत मध्य विद्यालय, चतुरी बिगहा को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित होने के उपरांत भवन निर्माण हेतु (अधिकतम 10 वर्ग कक्षा) दिनांक 28 मार्च, 2022 को ही रुपया 195.14 लाख की स्वीकृति दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विभागीय स्वीकृति के बावजूद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कोंच द्वारा पत्रांक 517, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 के माध्यम से चतुरी बिगहा के जगह पर ग्राम-मुंडेरा में विद्यालय निर्माण हेतु विभाग को पत्राचार किया गया जिसके कारण विद्यालय भवन का निर्माण लंबित हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय भवन निर्माण कार्य में दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुए चतुरी बिगहा में विद्यालय भवन निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*2045. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अथमलगोला प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त प्रखंड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*2046. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मनीगाछी प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण गरीब छात्र-छात्राओं का अध्ययन करने में कठिनाइयाँ होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2047. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम-धमार के गोरक्षणी खेल मैदान में छोटे/बड़े खेलों का आयोजन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोरक्षणी खेल मैदान के पास स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खेल प्रेमियों के लिए गोरक्षणी खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2048. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड हायाघाट के प्राथमिक विद्यालय, हरिहरपुर एवं प्रखंड बहेड़ी के प्राथमिक विद्यालय, डुमरी जिसका भूमि नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बगल के विद्यालय में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे भूमिहीन विद्यालय को चिहिन्त कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सभागार का निर्माण कराना

*2049. सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में तारडीह एवं घनश्यामपुर प्रखण्डों में समुचित सभागार नहीं होने के कारण सरकारी बैठकें, जनसंवाद, महिला एवं युवा कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक आयोजन खुले या अस्थायी स्थानों पर किया जाता है, जिस कारण आमजनता अंसतुष्ट है, साथ ही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में आधुनिक, सुंदर एवं बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधुनिक भवन का निर्माण

*2050. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अन्तर्गत नाजीरपुर पंचायत के नाजीरपुर ग्राम में राजकीय बुनियादी विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बुनियादी विद्यालय खपड़ापोस एसवेस्टस से बने पुराने भवन में पठन-पाठन का कार्य होता है, जबकि विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या 600 (छः सौ) है एवं नवसृजित विद्यालय में बच्चों की संख्या 700 है, बच्चों के संख्या के अनुपात में भवन नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बुनियादी विद्यालय में आधुनिक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*2051. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखण्ड के पंचायत कुमरखत पूर्वी के महुलीया गाँव में लगभग 600 अनुसूचित जाति/महादलित परिवारों की बस्ती निवास करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बस्ती में कोई स्थायी सामुदायिक भवन/केंद्र नहीं होने से सामाजिक, शैक्षणिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित बस्ती के समीप झोखराही में खाली पड़ी लगभग 3 एकड़ भूमि पर सामुदायिक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराना

*2052. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समाहरणालय, समस्तीपुर (जिला कल्याण कार्यालय), जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पत्रांक 70/जि०क०, दिनांक 22 फरवरी, 2025 के द्वारा सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु मौजा-दामोदरपुर, थाना संख्या 22, खाता सं० 165, खेसरा सं० 1941, रकबा 3000 वर्गफीट एवं मौजा साखमोहन, थाना संख्या 18, खाता सं० 838, खेसरा सं० 2639/6391, रकबा 3000 वर्गफीट स्थल के सीमांकन हेतु आदेश निर्गत है, जिसके अबतक लम्बित होने के कारण जिलाधिकारी, समस्तीपुर से अनुमोदन अप्राप्त है जिसके कारण सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कार्य लम्बित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित स्थल का सीमांकन कराकर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि--

• समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखण्ड अंतर्गत मौजा-दामोदरपुर, थाना सं० 22, खाता सं० 165, खेसरा सं० 1941, रकबा 3000 वर्गफीट भूमि पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि का चयन कर लिया गया है तथा जिला पदाधिकारी से प्राप्त भूमि प्रस्ताव के आलोक में मिशन कार्यालय द्वारा उक्त स्थल पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

• समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखण्ड अंतर्गत मौजा-साखमोहन में वर्णित स्थल (थाना संख्या 18, खाता सं० 838, खेसरा सं० 2639/6391) के आस-पास अनुसूचित जाति समुदाय के परिवारों की संख्या लगभग 10 (दस) है, जो सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित मानक (100 परिवार या 500 की आबादी) से कम है।

अतः सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

भुगतान कराना

*2053. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-04 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर नगर परिषद् सीमा से 8 कि०मी० दूरी पर अवस्थित पुराने एवं नियोजित शिक्षकों का वेतन में HRA का भुगतान 8 प्रतिशत के दर से किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों का नगर परिषद्, रामनगर में वेतन में HRA का भुगतान 5 प्रतिशत ही किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विशिष्ट शिक्षकों का HRA 8 प्रतिशत की दर से भुगतान करना चाहती हैं, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक पदस्थापित कराना

*2054. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत कैला के ग्राम-महमद्पुर (रामघाट) में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, महमदपुर संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में कक्षा 9वीं में छात्रों की संख्या 110 एवं कक्षा 11वीं में छात्रों की संख्या 16 है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में किसी भी विषय का एक भी शिक्षक नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, महमदपुर में सभी विषयों का शिक्षक पदस्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*2055. श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण उक्त एवं आस-पास के प्रखंडों के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या कम है तथा उक्त क्षेत्र के छात्र-छात्राएं गरीबी एवं हर साल बाढ़ के कारण बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत तिनतंगा दियारा दक्षिण के गाँव झल्लुदास टोला में सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत तिनतंगा दियारा दक्षिण के गाँव झल्लुदास टोला में उपलब्ध सरकारी जमीन पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सत्रों को समयबद्ध करना

*2056. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा स्नातकोत्तर (एम०ए०/एम०सी०) के सत्र 2024-26 के प्रथम पार्ट, सत्र 2023-25 के द्वितीय पार्ट तथा सत्र 2022-24 के चतुर्थ पार्ट की परीक्षा अभीतक नहीं लिया गया है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्नातकोत्तर सत्रों की परीक्षा निष्पादित कर समयबद्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2057. श्री भीषम प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत मैरवा प्रखंड में अवस्थित 'हरे राम उच्च विद्यालय' के खेल मैदान को असामाजिक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 'हरे राम उच्च विद्यालय' के खेल मैदान में चहारदीवारी नहीं होने के कारण हमेशा जल-जमाव एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खेल मैदान की चहारदीवारी निर्माण के साथ जल-जमाव से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2058. श्री मौशरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कादरचक, खानपुर तथा प्राथमिक विद्यालय, लोहसारी, रहुआ पूर्वी पंचायत, वारिसनगर विद्यालय में विद्यालय भवन का निर्माण नहीं होने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवनहीन विद्यालयों में विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2059. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड टनकुप्पा के ग्राम पंचायत-ढ़ीबर के ग्राम-निमा दोहर की जनसंख्या 700 है एवं ग्राम पंचायत-गजाधरपुर के ग्राम-कैलूडीह की जनसंख्या 550 रहने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम पंचायत ढ़ीबर के ग्राम-निमा दोपहर एवं ग्राम पंचायत गजाधरपुर के ग्राम-कैलूडीह में नये प्राथमिक विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना कराना

*2060. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई में अनुसूचित जनजाति कन्या विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, जिससे प्रखंड की बालिकाओं को पठन-पाठन में काफी परेशानी हो रही है तथा उन्हें +2 शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रखंड में +2 अनुसूचित जनजाति कन्या विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*2061. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के वर्ग 01 से 12 तक 01 करोड़ 70 लाख विद्यार्थियों में बुनियादी समझ मजबूत करने और भाषाई दक्षता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यपुस्तक का उपलब्ध

कराने की कार्य योजना शिक्षा विभाग में प्रस्तावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावे मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराना था जो आजतक नहीं कराया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तक कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण

*2062. डॉ० कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की धर्मपत्नी के नाम पर शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना अंतर्गत ग्राम+पो- माउर में स्थित श्रीमती रामरूची देवी मध्य विद्यालय का भवन जर्जर एवं ढ़हने के कगार पर पहुँच चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में नामांकित लगभग छः-सात सौ विद्यार्थियों की तुलना में कक्षा-कमरों एवं अन्य सुविधाओं की कमी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माउर स्थित उक्त मध्य विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कराते हुए अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2063. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री बैजनाथ साह, पिता-स्व० विलेश्वर साह, ग्राम-मोरवा उत्तरी, प्रखंड मोरवा की मृत्यु दुर्घटना में दिनांक 30 जनवरी, 2025 को हो गयी थी, जिसका मुसरीघरारी थाना काण्ड संख्या 20/25 तथा मोरवा प्रखंड के धर्मपुर बँदि निवासी श्री परमजीत कुमार, पिता-सुजीत पंडित की मृत्यु 21 अक्टूबर, 2025 को सड़क दुर्घटना से हो गयी थी, जिनका काण्ड संख्या 325/25 यातायात थाना समस्तीपुर में दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पीड़ितों के परिजनों को सरकारी मुआवजा राशि नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक, हैं, तो सरकार उक्त पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक। मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 20/25 में दर्ज आवेदन के अनुसार बैजनाथ साह, पिता-स्व० विलेश्वर साह, ग्राम-मोरवा उत्तरी, प्रखंड मोरवा की मृत्यु सड़क दुर्घटना (नॉन हिट एंड रन के अंतर्गत) में हुई हैं। सड़क दुर्घटना के अंतर्गत नॉन हिट एण्ड रन मामले की सुनवाई मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता है। मृतक के आश्रित द्वारा वांछित कामगजात जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर में जमा नहीं किया गया है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा मृतक के परिजन से दूरभाष पर संपर्क कर वांछित कागजात जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाँछित कागजात कार्यालय में जमा करने के उपरांत ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा को भेज दी जायेगी। तत्पश्चात न्यायाधिकरण द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजा भुगतान हेतु ओदश पारित किया जायेगा। मोरवा प्रखंड के धर्मपुर बँदि निवासी परमजीत कुमार, पिता-श्री सुजीत पंडित की मृत्यु सड़क दुर्घटना (हिट एंड रन के अंतर्गत) में हुई है। उक्त से संबंधित मामला यातायात थाना समस्तीपुर में कांड संख्या 325/25 दर्ज है। उक्त मामले में मृतक के आश्रित द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु कागजात जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर को दिनांक 31 जनवरी, 2026 को समर्पित किया गया है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा कागजात की जांच कर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के माध्यम से साधारण

बीमा परिषद् (GIC), मुम्बई को भेजा जा चुका है। आवश्यक औपचारिकताओं के उपरांत GIC के द्वारा आवेदक के खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) सड़क दुर्घटना के मामलों में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

स्टेडियम का निर्माण

*2064. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पंचदेवरी के पंचायत जमुनहा में अबतक खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है जिससे खेलप्रेमियों एवं युवाओं को अभ्यास करने में परेशानी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड पचंदेवरी के पंचायत जमुनहा में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थान पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2065. श्री अरुण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर प्रखंड में युवाओं एवं खिलाड़ियों के लिये इनडोर एवं आउटडोर खेल सुविधाओं का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार बख्तियारपुर प्रखंड में कबतक एक इनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना

*2066. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स हेतु पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जिससे छात्र-छात्राएं तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड ठकराहा में जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक, पश्चिमी चंपारण संचालित है एवं बगहा अनुमंडल के मधुबनी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक, बगहा की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

वर्तमान में राजकीय पोलिटेक्निक, पश्चिमी चंपारण की प्रतिवर्ष कुल प्रवेश क्षमता 360 के साथ संचालित है जिसमें जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र-छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं। नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक, बगहा में पठन-पाठन शैक्षणिक सत्र शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्र में नए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्त कंडिका (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(3) उपरोक्त कंडिका (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

चहारदीवारी का निर्माण

*2067. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दारौंदा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत हसनपुरा प्रखण्ड के उच्च विद्यालय-सह-इण्टर कॉलेज, सहुली विद्यालय में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है व बच्चों को विद्यालय में ठहराव में कफी परेशानी आती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय परिसर में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात सुरक्षा

*2068. श्री आनन्द मिश्र (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्कूली बसों, वैनों तथा विद्यालयों द्वारा ठेके पर लगाए गए वाहनों में ओवरलोडिंग, फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना संचालन, अप्रशिक्षित/अमान्य लाइसेंस वाले चालक, गति नियंत्रण, CCTV/GPS, अग्निशमन यंत्र एवं आपातकालीन निकास जैसे अनिवार्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के बच्चों का जीवन खतरे में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामलों में जुर्माना, परमिट निरस्तीकरण, वाहन जब्ती अथवा विद्यालय/ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभान्वित कराना

*2069. श्री माधव आनंद (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्रशासन के ज्ञापांक 3039, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा कुछ शिक्षकों को यह कहते हुए अवर शिक्षा सेवा का लाभ नहीं दिया गया कि वे अवर शिक्षा सेवा का भाग नहीं हैं, जबकि पूर्व में विभागीय ज्ञापांक 1030, (29 सितम्बर, 2011), 1605 (29 अक्टूबर, 2018) एवं 911 (05 जुलाई 2021) द्वारा शिक्षकों को अवर शिक्षा सेवा में प्रोन्नति दी जा चुकी है तथा ज्ञापांक 1661, दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 द्वारा 226 शिक्षकों का संविलियन भी किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार प्रोन्नति से वंचित लगभग 35-40 वर्षों से कार्यरत 104 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से बिहार शिक्षा सेवा में संविलियन कर लाभान्वित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2070. श्री मनोज कुमार (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य के सभी प्रखंडों के उच्च विद्यालय में एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अंतर्गत कलेर प्रखण्ड के जयपुर उच्च विद्यालय प्रांगण में स्टेडियम निर्माण के संदर्भ में जिला द्वारा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, जो लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय के प्रांगण में खेल का स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान/मानदेय देना

*2071. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में महाविद्यालयों में वित्त रहित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुदान देने के बदले वेतनमान/मानदेय नहीं दिए जाने के कारण शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आजीविका प्रभावित है तथा वर्तमान में स्नातक शिक्षा भी प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार वित्त रहित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनमान/मानदेय देने के संबंध में कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण कराना

*2072. श्री महेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय पदाधिकारी का एक जिला में पदस्थापना अवधि अधिकतम 3 वर्ष है तथा गृह जिला में पदस्थापना नहीं किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अंतर्गत पदस्थापित पदाधिकारी श्री शोभा कांत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) वैशाली 3 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही जिला में एवं अपने गृह जिला वैशाली में पदस्थापित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) वैशाली को अन्य जिला में स्थानांतरण/पदस्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर नियुक्ति

*2073. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड में सेविका के 17 तथा सहायिका के 32 पद पलासी प्रखंड में सेविका के 4 तथा सहायिका के 36 पद रिक्त हैं, जिसके कारण उक्त प्रखंडों में कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में आंगनबाड़ी के सेविका तथा सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

+2 विद्यालय खोलना

*2074. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सोनवर्षा विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड बनमा ईटहरी के पंचायत-सहुरिया अंतर्गत ग्राम-तरहा में +2 विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के ग्राम-सुगमा से उपरोक्त विद्यालय की दूरी लगभग 8 कि0मी0 है तथा सुगमा के छात्राओं को लगभग 8 कि0मी0 की दूरी तय करके विद्यालय आना-जाना पड़ता है जिसके कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के ग्राम-सुगमा में बालिकाओं के हित में +2 विद्यालय खोलना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय बनाना

*2075. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के म0 वि0, गौरैया से नजदीकी उच्च विद्यालय की दूरी लगभग 10 कि0मी0 होने के कारण खासकर छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*2076. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बरौली एवं मांझा में डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गोपालगंज जिले के बरौली एवं मांझा में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

प्रोन्नति करना

*2077. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा)--क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अनुदेशक संवर्ग को वर्षों से वेतनमान केंद्र सरकार के अनुरूप नहीं मिल रहा है तथा वरीयता के आधार पर उप-प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति वर्षों से लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा फरवरी, 2025 में 5 स्तरीय समिति बनाई गयी है परंतु समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अभीतक कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनुदेशक संवर्ग को केंद्र सरकार के अनुरूप वेतनमान एवं उप-प्राचार्य के पद पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति कबतक दिये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*2078. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के मध्य एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय में BOO मॉडल के तहत पत्रांक 253/सी, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा आई०सी०टी० इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा मध्य एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय में BOO मॉडल को बंद कर वर्तमान में BOO। मॉडल लाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार BOO मॉडल पर नियुक्त आई०सी०टी० इंस्ट्रक्टर को ही उनके कार्यानुभव को देखते हुये BOO। मॉडल में भी आई०सी०टी० इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्ति कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल अकादमी बनाना

*2079. श्री राहुल कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव अनुमंडल अन्तर्गत एक भी स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज हाई स्कूल डूमराँव में बहुत बड़ा मैदान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज हाई स्कूल, डुमराँव के फील्ड में एक आधुनिक स्टेडियम और उत्कृष्टता केन्द्र एवं खेल अकादमी बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2080. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फेनहरा (छपिया) में जर्जर भवन एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में पिछले 10 वर्षों से कठिनाई होते आ रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुर्घटना रोकना

*2081. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में हो रहे अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये परिवहन विभाग द्वारा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड काराकाट में बसडीहा, तालो टोला एवं जोखरपुर मोड़ के समीप सड़क दुर्घटनाओं में अत्यधिक मौतें हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इन स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर दुर्घटनाओं को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं एवं उनके फलस्वरूप होने वाले मृत्यु की संख्या को न्यून करने के उद्देश्य से विजन 2030 लाया गया है । विजन 2030 के अंतर्गत बिहार राज्य का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान संस्थागत व्यवस्था, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, शिक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं पर आधारित है । इसका उद्देश्य अंतर-विभागीय समन्वय, आधुनिक तकनीकी के उपयोग और सशक्त निगरानी व्यवस्था के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर को वर्ष 2030 तक 50% तक कम करना है । इसके लिये राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया है तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 136A एवं CMVR के नियम 167 के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है । इस कार्य योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीकी आधारित प्रवर्तन जैसे इ-चालान, ANPR (Automatic Number plate Recognition) कैमरा और इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर का चरणबद्ध विस्तार किया जायेगा, जिससे पारदर्शी एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके साथ ही ब्लैक स्पॉट की पहचान एवं सुधार, सुरक्षित सड़क इंजीनियरिंग, पैदल यात्रियों और स्कूल जाने की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर विशेष प्रवर्तन व्यवस्था लागू की जायेगी । शिक्षा एवं जन-जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित व्यय को बढ़ावा दिया जायेगा, जबकि आपातकालीन चिकित्सक सेवाओं को सशक्त कर 'गोल्डन आवर' में त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जायेगा इन समेकित प्रयासों से बिहार में एक सुरक्षित, तकनीक-सक्षम और टिकाऊ सड़क सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जायेगी ।

(2) आँशिक स्वीकारात्मक । सड़क दुर्घटनाओं में तातों टोला में वर्ष 2025 में 4 मृत्यु एवं जोखरपुर में वर्ष 2025 में मृतकों की संख्या शून्य है, वहीं वर्ष 2024 में 3 है । इसी प्रकार बसडीहा में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में वर्ष 2025 में 1 मृत्यु हुई है ।

(3) राजकीय ब्लैक स्पॉट प्रोटोकॉल 2017 के मानक के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 200 मीटर में, उपनगरीय क्षेत्रों में 400 मीटर में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 600 मीटर में स्पष्ट रूप से फैला सड़क के हिस्से का संधिस्थल अथवा वह स्थल जहां एक कैलेण्डर वर्ष में 10 दुर्घटना होने के कारण उस ब्लैक स्पॉट के रूप में घोषित किया जाता है । उपर्युक्त घटना स्थल बिहार ब्लैक स्पॉट प्रोटोकाल, 2017 के अंतर्गत परिभाषित नहीं होता । यधपि इन स्थलों पर सड़क दुर्घटनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय दल से जांच कराते हुये आवश्यकतानुसार परिमार्जन का कार्य कराया जायेगा ।

निजात दिलाना

*2082. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बेगूसराय, वीरपुर एवं बरौनी प्रखंड में घोड़परास, जंगली सुअरों एवं बंदरों का भारी आतंक है, जिसके कारण किसानों के फसलों को व्यापक नुकसान पहुँच रहा है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों को उक्त जानवारों के आतंक से निजात दिलाने हेतु कौन-सी ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*2083. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकड़ीबरावाँ प्रखंड के धमौल पंचायत के धमौल बाजार जिसकी आबादी 15000 (पन्द्रह हजार) से अधिक है, में मध्य विद्यालय तक को पढ़ाई होती है जिसके कारण छात्र-छात्राओं को नवम से इण्टर तक की पढ़ाई करने हेतु 08 कि०मी० दूर अंजुनार जाना पड़ता है जबकि धमौल में इण्डर विद्यालय की स्थापना हेतु सरकारी भूमि भी उपलब्ध है, तो क्या सरकार धमौल में इण्टर विद्यालय स्थापित करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अभियाँत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना

*2084. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में अभियाँत्रिकी महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में अभियाँत्रिकी महाविद्यालय कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार, पटना के अंतर्गत वर्तमान में भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड में भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर संचालित है । भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 360 है । इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र-छात्राएं भी निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नामांकन ले सकते हैं ।

भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*2085. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत सागर पंचायत के सागर गांव में एक भी विद्यालय नहीं है जिससे इस गांव के बच्चों को पठन पाठन के लिये 2 कि०मी० दूर सागर मठिया जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार सागर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कक्षा का निर्माण

*2086. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बलरामपुर एवं बारसोई प्रखंड की सभी पंचायतों में संचालित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में वर्ग कक्षा की कमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ग कक्षा की कमी के कारण कई विद्यालयों में एक ही कमरे में अनेक कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं अथवा विद्यार्थियों को बरामदे/अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करने को विवश होना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा अबतक इस समस्या के समाधान हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं क्या सरकार द्वारा इन विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्षा का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष निर्माण

*2087. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उदाकिशनगंज अनुमंडल में स्थित एक ही सरकारी हरिहर साह महाविद्यालय है जिसका वर्ग कक्ष जर्जर रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, तथा कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में अतिरिकत वर्ग कक्ष बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2088. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत नगर परिषद् झाझा एवं उसके आस-पास एक भी उच्चस्तरीय स्टेडियम नहीं होने से सरकार की बच्चों को खेलों के प्रति जागृत करने की योजना ''खेलों इंडिया'' का लाभ यहां के बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद्, झाझा के चरघरा में मौजा-चरघरा, थाना नं०-3/17, खाता-110, खेसरा-18/1528, रकबा-4.67 डी० जमीन परती (उपलब्ध) है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बच्चों के हित में उक्त खाली जमीन पर एक उच्चस्तरीय स्टेडियम निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*2089. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड के ससौला मध्य विद्यालय में कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कंडिका (1) वर्णित विद्यालय में छात्रों की संख्या की अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होने के कारण एवं बुनियादी ढांचा अपर्याप्त रहने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रुप से नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, ससौला में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन एवं बुनियादी ढ़ांचों का निर्माण कराकर पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय स्थानांतरित कराना

*2090. श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या-69 कोढ़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोढ़ा विधान सभा अंतर्गत कोढ़ा के ग्राम पंचायत राज उत्तर सिमरिया के सीतलपुर में प्राथमिक मध्य, उच्च (+2) विद्यालय एवं मदरसा एक ही परिसर में संचालित की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च (+2) विद्यालय का अपना कोई भवन नहीं है एवं महज 07 से 08 कमरे में प्राथमिक मध्य, उच्च (+2) विद्यालय का संचालन किया जा रहा है तथा उक्त पंचायत में बुनियादी विद्यालय (बेसिक्स स्कूल) को एनएच 81 के बगल में आठ (8) एकड़ भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार +2 विद्यालय को बुनियादी विद्यालय (बेसिक्स स्कूल) में स्थानांतरित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2091. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज प्रखंड स्थित हाई स्कूल, बौरी में वर्तमान में 576 छात्र नामांकित हैं, जबकि विद्यालय में केवल चार वर्ग कक्ष उपलब्ध हैं, जिससे पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*2092. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड परैया अंतर्गत पीएम श्री +2 अशोक उच्च विद्यालय, परैया का खेल मैदान पूरे प्रखंड में एकमात्र खेल मैदान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पीएम श्री +2 अशोक उच्च विद्यालय, परैया का खेल मैदान में एन०सी०सी० स्काउट की ट्रेनिंग सहित अन्य सभी खेलों का आयोजन होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गयाजी जिला के प्रखंड परैया अंतर्गत उक्त विद्यालय के खेल मैदान को विकसित कर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

PG की पढ़ाई आरंभ करना

*2093. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंगीभूत इकाई महाकवि कालिदास सूर्यदेव त्रिमुहान, चन्दौना में PG की पढ़ाई नहीं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय जाले विधान सभा में एकमात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई का महाविद्यालय है तथा बड़ी संख्या में यहाँ छात्र-छात्राएँ पठन-पाठन करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महाकवि कालिदास सूर्यदेव त्रिमुहान, चन्दौना महाविद्यालय में PG पढ़ाई आरंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2094. श्रीमती छोटी कुमारी (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा जिन पंचायतों में उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं थे, वहाँ मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में इन विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे भवन विहीन विद्यालयों को दो शिफ्ट में संचालित कराने तथा नए भवन निर्माण की कोई ठोस योजना बनाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2095. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर का निर्माण वर्ष 2013-14 में कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित विद्यालय भवन 12 वर्ष बाद आज जर्जर स्थित में पहुँच गया है, कमरों के छत से पानी रिसाव होने के कारण छात्र/छात्राओं सहित शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विद्यालय में मात्र 6-7 कमरों में कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जा रही है जिसमें कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित विद्यालय का जीर्णोद्धार करते हुए चहारदीवारी सहित अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*2096. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत चनपटिया एवं मंझौलिया प्रखंड में कोई सरकारी डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है जिसके कारण उक्त प्रखंडों के लगभग 60 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ 12वीं.के बाद उच्च शिक्षा से वंचित होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार चनपटिया अथवा मंझौलिया प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*2097. श्रीमती कश्मिा (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा 2022 से प्रत्येक वर्ष दिसंबर एवं जनवरी के शीतलहरी में शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आवासीय प्रशिक्षण होने के कारण जहाँ पारिवारिक दायित्वों से जुड़े पुरुष शिक्षकों को अपने बुजुर्ग माता-पिता एवं परिवार की देखभाल में कठिनाई होती है वहीं महिला शिक्षकों, खासकर वैसी महिला शिक्षक जिन्हें एक-दो साल के छोटे बच्चे हैं, को मजबूरन कड़ाके की ठंड में साथ में रखकर प्रशिक्षण पूरा करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन कर अनुमंडल प्रखंड स्तर पर विद्यालय अवधि में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*2098. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया प्रखंड में हर साल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हजारों छात्र-छात्राएं डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जबकि सत्तर कटैया प्रखंड के मेनहा गाँव में डिग्री महाविद्यालय खोलने के लिए पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सत्तर कटैया प्रखंड के मेनहा गाँव में उपलब्ध जमीन पर सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रदूषण पर रोक लगाना

*2099. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नासरीगंज, बिस्किट फैक्ट्री क्षेत्र, दानापुर, जिला-पटना, मास्टर प्लान एवं नगर परिषद् अभिलेखों के अनुसार आवासीय क्षेत्र एवं ग्रीन-जोन घोषित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोला राम स्टील प्रा०लि०, नासरीगंज द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में दानापुर, नगर परिषद् एवं प्रखंड कार्यालय की संयुक्त जाँच टीम द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को स्थल जाँच की गई थी एवं जाँच प्रतिवेदन जो नगर परिषद्, दानापुर निजामत के पत्रांक 4478, दिनांक 24 नवम्बर, 2025 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को प्रतिवेदित है, में शिकायतकर्ता का पक्ष सही पाया गया, परंतु जाँच रिपोर्ट के आधार पर अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे ध्वनि एवं वायु प्रदुषण पर रोक लगाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल दोहन रोकना

*2100. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद शहर स्थित श्री सिमेंट के ग्राईंडिंग यूनिट का वर्ष 2016 ई० प्रारंभ हुआ ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उद्योग द्वारा भू-गर्भीय जल के लगातार दोहण के उपरांत दो-तीन वर्षों के बाद ही औरंगाबाद शहर व आस-पास के इलाकों को गर्मी के दिनों में भू-गर्भीय जलस्तर काफी नीचे हो जाने के कारण पेयजल व किसानों को सिंचाई हेतु गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राईंडिंग यूनिट द्वारा भू-गर्भीय जल के दोहन पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2101. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला अन्तर्गत अस्थावाँ प्रखंड के ग्राम-उगावां में स्थित मध्य विद्यालय, उगावां का भवन निर्माण के क्रम में अधूरा निर्माण ही हुआ है एवं अधूरा निर्मित भवन भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, जिससे कभी भी छात्रों के साथ अप्रिय घटना घट सकती है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, उगावां के भवन का निर्माण नये सिरे से कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय का निर्माण

*2102. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत तरारी और सहार प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जायेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तरारी एवं सहार प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2103. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय, डपरखा के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करता है एवं सरकार की राज्य के सभी प्रखंडों में एक स्टेडियम का निर्माण कराने की योजना है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड के वर्णित डिग्री महाविद्यालय के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी सचिव की पदस्थापना

*2104. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड में लगातार 5 वर्षों से अतिरिक्त/अस्थायी सचिव की नियुक्ति की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त प्रभार में रहने के कारण आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य कार्यों का निष्पादन धीमी गति से हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आयोग में स्थायी सचिव की पदस्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*2105. मो0 सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के +2 स्तरीय प्रोजेक्ट किसान बालिका उच्च विद्यालय का खेल मैदान बहुत छोटा है जिस कारण विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिए एक नया खेल मैदान बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2106. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बथनाहा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बथनाहा प्रखंड अंतर्गत सहियारा पंचायत के ग्राम-सुगाही (वार्ड नं0 12) में संचालित प्राथमिक विद्यालय काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण संचालित प्राथमिक विद्यालय में अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय के नये भवन के निर्माण हेतु विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय का निर्माण

*2107. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वजीरगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वजीरगंज प्रखंड एवं मानपुर प्रखंड में भी सरकारी महिला महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण वहां की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा वजीरगंज एवं मानपुर प्रखंड की छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गयाजी जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन दोनों प्रखंडों में सरकारी महिला महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2108. श्री रोमित कुमार (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अतरी विधान सभा अंतर्गत बथानी प्रखंड के मनियारा गाँव में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (कोड संख्या 59) वर्तमान में भवन के अभाव में संचालित हो रहा है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (कोड 59) के निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का निर्माण

*2109. श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के नहीं होने के कारण यहाँ के छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार सिमरी बख्तियारपुर में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, सहरसा संचालित है।

राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 360 है। इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र-छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते है।

वर्तमान में सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर में महिला राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

*2110. श्री नितेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत कसबा विधान सभा क्षेत्र के जलालगढ़ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पोड़ा (UDISE: 10091203701), पंचायत रामदेली एवं श्रीनगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नयानगर मुसहरी (UDISE: 10091300305), पंचायत सिंघिया में चहारदीवारी, शौचालय, पेयजल, बेंच-डेस्क एवं रसोईघर जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सुविधाओं के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है तथा विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2111. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश संख्या 40, दिनांक 5 फरवरी, 2026 द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की संविदा अवधि विस्तार बैक डेट यानि दिनांक 7 जून, 2025 से किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग से स्वीकृत पदों/रिक्त पदों पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है, जो नियुक्ति प्रक्रियाधीन है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के विरुद्ध माननीय मंत्री द्वारा कार्रवाई हेतु पीत-पत्र जारी होने के बाद भी अभीतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है ;

(4) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संविदा पर नियुक्ति के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के विरुद्ध कार्रवाई कराने तथा संविदा आधारित नियुक्ति तत्काल रद्द कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2112. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड बाराचट्टी, ग्राम पंचायत बिन्दा के ग्राम-सलेमपुर में प्राथमिक विद्यालय है जिसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और शिक्षक एवं बच्चे का प्रवेश बंद कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के सभी बच्चों को उसी पंचायत के बेलघोघर प्रा0 वि0 में सम्बद्ध कर दिया गया है, अधिक दूरी एवं खतरों से भरा रास्ता होने के कारण बच्चों ने विद्यालय जाना ही बंद कर दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जर्जर भवन का नव-निर्माण कराने के साथ उसी गाँव में पठन-पाठन का वैकल्पिक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2113. श्री अमित कुमार (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के निर्वाचन क्षेत्र में परसौनी और तरियानी प्रखंडों में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं के लिए आधुनिक खेल मैदान या स्टेडियम नहीं रहने के कारण खिलाड़ियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्याप्त कमरों वाला नया भवन बनाना

*2114. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी प्रखंड के मुख्य मार्ग पर भालुआरी गाँव में स्थित उत्क्रमित हाई स्कूल केवल चार कमरों में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आठवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे विद्यालय में कमरे के कमी के कारण चार कमरों में अलग-अलग शिफ्ट में पढ़ाई करने को विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त उत्क्रमित हाई स्कूल के लिए पर्याप्त कमरों वाला नया भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2115. प्रो0 नागेन्द्र राउत (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के चोरौत प्रखंड के आर0एन0टी0 +2 उच्च विद्यालय बड़ीबेहरा का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण पशु एवं असामाजिक तत्व का प्रवेश होने से पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समय-सीमा तय करना

*2116. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधित पत्र पत्रांक 4207, दिनांक 22 नवम्बर, 2025 निर्गत किया गया है किन्तु जहानाबाद गयाजी, सहित अन्य जिलों में अभी तक उक्त पत्र के अनुपालन में किसी भी तरह का कदम जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा नहीं उठाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पत्र के अनुपालन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन कार्य चालू कराना

*2117. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखंड के ग्राम पंचायत चतुर्भुज विषशरी के खिबही गाँव में वर्ष 2009 से प्राथमिक विद्यालय का भवन बनकर तैयार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आजतक उक्त विद्यालय में न तो शिक्षक है और न ही विद्यालय का पठन-पाठन कार्य चालू हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पठन-पाठन कार्य कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2118. श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी (क्षेत्र संख्या-211 नोखा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत नोखा विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड नासरीगंज में सोन नदी से बालू बंदोबस्तधारियों के द्वारा सीधे ट्रक में लोड कर सड़क पर लाया जाता है जिससे काफी मात्रा में पानी गिरता है जिसके कारण सड़क पर कीचड़ जैसी स्थिति बन जाती है, फिसलन के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बंदोबस्तधारियों को सरकार से एक घाट का लाईसेंस निर्गत होने के बावजूद अवैध तरीके से कई गाँवों में अलग-अलग रास्ता बनाकर बालू की निकासी की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त बंदोबस्तधारियों पर कार्रवाई करने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य देना

*2119. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों (9वीं से 12वीं) में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र, उत्तर-पुस्तिका एवं ओएमआर शीट की छपाई एवं आपूर्ति का कार्य वर्ष 2023 में राज्य के स्थानीय पंजीकृत निजी प्रिंटिंग प्रेसों से हटाकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सौंप दिया गया जबकि BSEB के वार्षिक कैलेंडर में प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षाओं का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में मुद्रण का कार्य स्थानीय प्रेसों से हटाकर बिना टेंडर प्रक्रिया के राज्य के बाहर की निजी एजेंसियों को दिया गया, जिससे राज्य के हजारों छोटे प्रिंटिंग प्रेस (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र) बंदी के कगार पर पहुँच गए है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्ववर्ती नीति को पुनः लागू कर प्रेस से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार लौटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2120. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हसनगंज प्रखंड में एक मात्र जिला परिषद् के मैदान में खेल गतिविधिया होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*2121. श्री राज कुमार राय (क्षेत्र संख्या-140 हसनपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर एवं बिथान प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में निर्णय के आलोक में उक्त प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पिंक बस का संचालन

*2122. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत मढ़ौरा से छपरा, गौरा से छपरा के बीच प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्राएं यात्रा करती हैं एवं उन्हें सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार महिलाओं तथा छात्राओं की सुरक्षित, सुलभ एवं सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त दोनों मार्गों पर महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा का संचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय स्थापित करना

*2123. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने राज्य के 360 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय निर्माण करने का फैसला लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड केवटी एवं सिंघवाड़ा में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केवटी के +2 उच्च विद्यालय रैयाम फैक्ट्री एवं सिंघवाड़ा के +2 वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय, सिमरी में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अटल कला भवन का निर्माण

*2124. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडल मुख्यालय में कला संस्कृति विभाग की योजनानुसार प्रमंडलीय अटल भवन का निर्माण होना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडल काफी पुराना प्रमंडल है, जहाँ कला संस्कृति एवं अन्य कार्यक्रम के आयोजन हेतु दो हजार सीट क्षमता सहित प्रशिक्षण केंद्र, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और अन्य आधुनिक सुविधा युक्त अटल कला के निर्माण होने से पारंपरिक क्षेत्रीय लोक कलाकार एवं शास्त्रीय कलाकार कला की प्रस्तुति कर पायेंगे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर 2 हजार सीट की क्षमता वाले अत्याधुनिक अटल कला भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) एवं (2) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक संरचना निर्माण योजना के तहत प्रमंडलीय जिला मुख्यालय, पूर्णियाँ में 600 प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कराया जा चुका है।

(3) उपर्युक्त खण्ड के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

सामुदायिक भवन का निर्माण

*2125. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सपही पंचायत के सपही वृत्तियां ब्रह्मस्थान परिसर जानवर द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर महादलित की बस्ती है जहां महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन का निर्माण करना सरकार की प्राथमिकता में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1),(2) एवं (3)वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सपही वृत्तियां ब्रह्मस्थान परिसर में किसी जानवर द्वारा प्रदूषित नहीं किया जाता है।

उक्त स्थल ब्रह्मस्थान की भूमि है। जहाँ चबूतरा का निर्माण पूर्व से किया गया है। ब्रह्मस्थान के अगल-बगल में स्थित महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण हेतु मानक के अनुसार भूमि (50 फीट x 60 फीट) अर्थात् 3000 वर्ग फीट उपलब्ध नहीं है।

अतः वर्णित स्थल पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

स्थायी नियुक्ति कराना

*2126. श्रीमती श्वेता गुप्ता (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर अनुमंडल में संचालित बुनियाद केंद्र में स्वीकृत 17 पदों में से 12 पद वर्तमान में रिक्त हैं जिनमें सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट (एमटीवी), ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट-सह-स्पीच एवं लैंगवेज पैथोलॉजिस्ट/थेरेपिस्ट, काउंसलर/क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एवं हियरिंग तकनीशियन, ऑप्थैल्मोलॉजी तकनीशियन, प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक तकनीशियन, मोबिलिटी ईंस्ट्रक्टर, चालक एवं रसोइया जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन पदों के लंबे समय से रिक्त रहने के कारण दिव्यांगजनों को आवश्यक चिकित्सीय, पुनर्वास एवं परामर्श सेवाएं नहीं मिल पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन कराना

*2127. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के आमी से दिघवारा रेलवे ढाला, सितलपुर बाजार, नयागांव बाजार, गोपालपुर, गोविंदचक, सोनपुर होते हुए पटना तक जाने एवं आने के लिए कोई सरकारी बसों का परिचालन नहीं हैं, जिसके कारण छात्रों एवं यात्रियों को काफी समस्या होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्ग से सरकारी बसों का परिचालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखण्ड के आमी से दिघवारा रेलवे ढाला, शितलपुर, नयागांव, गोपालपुर, गोविन्दचक, सोनपुर बाईपास होते हुये पटना तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की दो वाहन संख्या BR06PG-6193 एवं BR06PG-6194 का परिचालन किया जा रहा है।

निबंधन को पेपरलेस बनाना

*2128. श्रीमती रेणु देवी (क्षेत्र संख्या-08 बेतिया)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निबंधन विभाग के ज्ञापांक FW-7125/2022 Sec.9-626, दिनांक 28 जनवरी, 2026 के द्वारा निबंधन पेपरलेस करने का आदेश निर्गत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पेपरलेस के निबंधन प्रक्रिया में अनुज्ञप्तिधारी दस्तावेज लेखकों की तकनीकी रूप से सहमति, डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य करने तथा अनुज्ञप्तिधारी दस्तावेज लेखक अपने-अपने आई०डी० द्वारा दस्तावेज तैयार करने संबंधित निर्णय अबतक नहीं लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आदेश के आलोक में निबंधन को पेपरलेस कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्वविद्यालय स्थापित कराना

*2129. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद के चार जिलों आरा, कैमूर, बक्सर, रोहतास में एकमात्र विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, है, उक्त विश्वविद्यालय से लगभग 19 अंगीभूत एवं 64 सम्बद्ध कॉलेज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से अंगीभूत एवं सम्बद्ध कॉलेजों की संख्या अधिक होने से तीन साल के स्नातक कोर्स को पूरा करने में चार साल से अधिक समय लग जाता है, जिससे छात्र-छात्राओं का पूरा एक साल बर्बाद होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक जिला एक विश्वविद्यालय की तर्ज पर कैमूर जिला में विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2130. श्री अजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-95 काँटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत महान साहित्यकार एवं कलम के जादूगर श्री रामवृक्ष बेनीपुरी के पैतृक गांव बेनीपुर, औराई में प्रशासनिक असंवेदनशीलता और शैक्षणिक अपेक्षा के कारण प्राथमिक विद्यालय, बेनीपुर एवं उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय, बेनीपुरी (दक्षिण) का स्थायी विद्यालय भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांव में वर्णित विद्यालय के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति रद्द करना

*2131. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ० जा०))--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के डी०एन० कॉलेज, मसौढ़ी में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति में यू०जी०सी० के मानदंड का पालन नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना मानदंड के नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण अनुमोदन किया गया है, जिसे माननीय राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक पी०पी० यू० 01-2025-403, दिनांक 11 मार्च, 2025 द्वारा इसे गलत मानते हुए तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का निर्देश दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए बिना अर्हता के नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2132. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड में अंगीभूत मुरारका कॉलेज, सुलतानगंज में कला, विज्ञान एवं कॉमर्स निकायों में ऑनर्स स्तर की पढ़ाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कॉलेज में लगभग 5000 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस कॉलेज में एक भी इनडोर स्टेडियम नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को इनडोर गेम की तैयारी करने में दिक्कत होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में एक इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालू खनन कार्य शुरू कराना

*2133. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत रोहतास प्रखंड के सोन नदी के किनारे ग्राम-पटखौलिया सहित अन्य गांवों एवं नौहट्टा प्रखंड के देवीपुर सहित अन्य गांवों के बालू घाट की नीलामी ना होने से वहां के स्थानीय लोगों को ज्यादा दूरी तय करके बालू क्रय करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गांवों में बालू घाट की नीलामी हो जाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त बालू घाट का नीलामी कराकर बालू खनन का कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्स्थापना कराना

*2134. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला अन्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के तेल्हाड़ा (प्राचीन तिलाधक महाविहार/तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय) के ऐतिहासिक, शैक्षिक एवं बौद्ध विरासत महत्व रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तेल्हाड़ा में लगभग 700 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है तथा स्थल पर एएसआई एवं बिहार पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में मठ, विहार, स्तूप एवं अन्य पुरावशेष प्राप्त हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर तेल्हाड़ा (तिलाधक महाविहार) विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण

*2135. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के आमस प्रखण्ड के ग्राम पंचायत आमस के ग्राम-निमा वार्ड नं० 11 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं० 66 में स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2136. मो॰ गुलाम सरवर (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत डगरूआ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, मंझेली एवं प्राथमिक विद्यालय, दरियापुर को भूमि उपलब्ध होने के बावजूद अबतक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हो सका है, जिसके कारण बच्चों का पठन-पाठन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रदूषण नियंत्रित करना

*2137. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कहलगांव एन॰टी॰पी॰सी॰ से निकलने वाले फ्लाई ऐश प्रदूषण के कारण स्थानीय 10 पंचायतों की जनता दमा, टी॰बी॰ और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फ्लाई ऐश के धूलकणों से न केवल वायु प्रदूषित है, बल्कि पीने का पानी और खाद्य सामग्री भी विषाक्त हो चुकी है, जिससे जनस्वास्थ्य पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार Ash Dyke के आधुनिक प्रबंधन और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु आधुनिक तकनीक व सघन वृक्षारोपण की ठोस समयबद्ध योजना लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन बनाना

*2138. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बिहपुर प्रखंड के कहारपुर गांव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय है जिसका भवन कोशी नदी में कटाव के कारण विलीन हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन निजी दरवाजे पर चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के लिये कबतक विद्यालय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

*2139. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड औद्योगिक, कृषि एवं तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है अतः यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहिया प्रखंड में हर वर्ष सैकड़ों छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बाहर पलायन को मजबूर होते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने हेतु उक्त प्रखण्ड में पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार, पटना के अधीन वर्तमान में भोजपुर जिला के जगदीशपुर अंचल में राजकीय पोलिटेक्निक, भोजपुर संचालित है।

राजकीय पोलिटेक्निक, भोजपुर की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 360 है। इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र-छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं।

वर्तमान में भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड में नये राजकीय पोलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(2) कंडिका (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(3) कंडिका (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

त्रुटि का सुधार

*2140. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एस०टी०ई०टी० 2025 (मा०) परीक्षा में कुल 150 अंक का प्रश्न पूछा गया जिसमें विषय अरबी (208) के कुल 150 अंकों के प्रश्नों में 4 प्रश्नों के उत्तर में त्रुटि था जिसको विभाग (बी०एस०ई०बी०) ने भी स्वीकार किया है जबकि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम उत्तीर्णता 66.43 (146X45.5%) निर्धारित किया गया फिर भी अभ्यर्थी श्री जफर सादिक विषय अरबी (208) आवेदन सं० बी०एस० 25038951, अनुक्रमांक 2593000187 जिनका प्राप्तांक 68. 18% है, को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त त्रुटि को सुधार करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2141. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर के ग्राम-भगवानपुर, पंचायत समरडीहा, ग्राम-तलियाँ पंचायत-ठोरसन, ग्राम-तिलकापुर पंचायत खड़ारी एवं प्रखंड करगहर के ग्राम-बाराडीह, पंचायत-बसडीहाँ में विद्यालय भवन नहीं है, जिसके कारण उक्त गांव के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये दूसरे गांव में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांव में प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण

*2142. श्री आसिफ अहमद (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण के दौरान 6 बजे पूर्वा० में योग एवं 9.30 बजे पूर्वा० से 7 बजे अप० तक विषयवस्तु क्लास के बाद भी रात्रि में रुकने हेतु बाध्य किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रशिक्षण में शिक्षकों की रात्रि में उपस्थिति अनिवार्य किये जाने से गर्भवती शिक्षिकाएँ, दूधमुहें 0-2 वर्ष के बच्चों की महिला शिक्षिकाएँ, बीमारी से ग्रस्त महिला एवं पुरुष शिक्षकों, बीमार माता-पिता की रात्रि में एकमात्र देखभाल करने वाली महिला शिक्षिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर शिक्षक के सेवाकालीन प्रशिक्षण में रात्रि में ठहरने की बाध्यता समाप्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*2143. श्री साम्रीद वर्मा (क्षेत्र संख्या-09 सिकटा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पं० चम्पारण जिला के मैनाटांड प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीय मध्य विद्यालय, तिल्लोजपुर (यूडीस कोड 10011609301) का भवन अत्यंत जर्जर है और कमरों की संख्या काफी कम है जिसके कारण मासूम बच्चे जाड़ा और गर्मी में खुले विद्यालय प्रांगण में पढ़ने को विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराते हुये जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2144. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परिहार प्रखंड में कला, संस्कृति केन्द्र नहीं होने के कारण क्षेत्र के युवाओं को कला एवं संस्कृति संबंधी ज्ञान प्राप्त करने हेतु सीतामढ़ी जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक परिहार प्रखंड में कला, संस्कृति केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि बढ़ाना

*2145. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड अन्तर्गत माता सिंहासनी स्थान, बाराहरख में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कैलेण्डर में शामिल माता सिंहासनी महोत्सव मनाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त माता सिंहासनी महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और पिछले साल इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये 2,00,000 (दो लाख) रुपये मात्र स्वीकृत किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान में माता सिंहासनी महोत्सव के आयोजन हेतु स्वीकृत राशि को बढ़ाकर 5,00,000 (पाँच लाख) रुपये करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरे का निर्माण

*2146. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत धुरियाही पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुर के तीन कमरे क्षतिग्रस्त हैं, दो ही कमरे में पढ़ाई की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां तीन कमरे के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2147. श्री संजय कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-03 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लौरिया प्रखण्ड के तेलपुर (दक्षिण टोला) में भवनहीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जबकि विद्यालय के नाम से भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लौरिया प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तेलपुर (दक्षिण टोला) में शौचालय सहित भवन निर्माण एवं चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2148. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के मोहनिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कराना पंचायत के नटया गाँव में स्कूल के पास खेल मैदान के नाम पर जमीन उपलब्ध है, जिसमें आस-पास के सभी गाँव के बच्चों को खेल स्टेडियम नहीं होने के वजह से असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नटया गाँव में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2149. श्रीमती अश्वमेध देवी (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत समस्तीपुर प्रखंड के हरपुर एलौथ पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विद्यालय भवन का निर्माण कार्य B.S.E.I.D.C. के संवेदक द्वारा वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कई वर्षों के उपरांत भी उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अबतक पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उत्तरदायी एजेंसी/ संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई के साथ उक्त विद्यालय भवन निर्माण कार्य को कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*2150. श्री मिथुन कुमार (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि महादलित टोला में जहाँ पहले से सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड नहीं है, वहां सामुदायिक भवन का निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड के पंचायत बैलखोरिया के गोविन्दपुर गाँव में महादलित टोला के यज्ञशाला के पास महादलित एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी सामुदायिक भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड अंतर्गत उक्त पंचायतों के यज्ञशाला के समीप में महादलित एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भार वहन क्षमता बढ़ाना

*2151. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य भर में ट्रैक्टर-ट्रेलर के परमिट देने में भार वहन क्षमता वहन क्षमता 5 टन का दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा ऐसे टैक्टर-ट्रेलर जो एक धुरी दो टायर का है उसकी भार वहन क्षमता 7 टन निर्धारित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टैक्टर-ट्रेलर की भार वहन क्षमता उपर्युक्त नियम के अनुसार 7 टन करने के लिए राज्य के सभी जिलों को निर्देश देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2152. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, भूबौल हरिजन टोला का भवन वर्ष 2024 में कोसी तटबंध के टूटने के बाद सर्वाधिक प्रभावित होकर जमींदोज (पूर्ण रूप से ध्वस्त) हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन अभीतक नहीं बना है जिसके कारण दलित बच्चों को अध्यापन कार्य में कठिनाइयां हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला भूबौल के भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना

*2153. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत केसरिया एवं संग्रामपुर प्रखंडों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन वर्तमान में पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मोतिहारी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक, मोतिहारी, संचालित है, राजकीय पॉलिटेक्निक, मोतिहारी की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 360 है। इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र-छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं।

वर्तमान में पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत केसरिया एवं संग्रामपुर प्रखंडों में नए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*2154. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पंडारक प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त प्रखण्ड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में राजकीय डिग्री महाविद्यालय कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*2155. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सदर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करने में कठिनाइयाँ हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा जिला के सदर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2156. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत हायाघाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड हायाघाट के प्रथमिक विद्यालय, चंचलनगर एवं प्रखंड बहेड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालय, ददरवाड़ा,

प्राथमिक विद्यालय, मानोपुर में छात्रों की संख्या अधिक रहने एवं वर्ग कक्ष कम रहने के कारण छात्रों का दो पाली में पठन-पाठन कार्य संचालित किया जा रहा है, जिससे छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे विद्यालय को चिह्नित कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कराना

*2157. सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में तारडीह एवं घनश्यामपुर प्रखंडों में एक भी कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं है जिसके अभाव में क्षेत्र के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार केंद्र दृश्य कला, लोक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने एवं संरक्षित करने हेतु दृढ़संकल्पित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अलीनगर विधान सभा में पारंपरिक चित्रकला, मूर्तिकला, लोक, कला, मंजुषा कला, हस्तशिल्प कला के लिए विख्यात है तथा कला प्रशिक्षण केंद्र हेतु अर्हता के अनुरुप पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*2158. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड में अबतक कोई सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं रहने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु लगभग 15 कि०मी० दूर मधुबनी जिला मुख्यालय जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार की महत्वपूर्ण सात निश्चय योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय स्थापना करने की योजना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाबूबरही प्रखंड में सात निश्चय योजना के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2159. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत चण्डी प्रखंड के ग्राम पंचायत बेलछी के ग्राम-चितर बिगहा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चितर बिगहा संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक एवं कमरों की संख्या मात्र 03 है, जिसमें एक कमरा कार्यालय बना है, शेष 02 कमरा में ही कक्षा संचालित है जिससे पठन-पाठन में परेशानियां होती है, जबकि अतिजर्जर भवन को तोड़कर खाता सं 319 एवं खेसरा सं० 772 में जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चितर बिगहा में अतिक्ति पाँच कमरा एवं चहारदीवारी के निर्माण कराने विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2160. श्री भीषम प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत मैरवा बाजार में स्थित 'नवीस भवन' में चल रहे कन्या उच्च विद्यालय का अपना कोई भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि मैरवा बाजार में कन्या उच्च विद्यालय निजी मकान में लगभग बारह वर्षों से चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कन्या उच्च विद्यालय, मैरवा के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2161. श्री मौंशरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर स्थित रा0प्राथमिक विद्यालय रोहुआ टोले खानुपुर, वारिसनगर तथा प्राथमिक विद्यालय नरसिंहा, डुमरा मोहन पंचायत, शिवाजीनगर में छात्र-छात्राओं के अनुपात में कक्षा हेतु कमरे/हॉल, चहारदीवारी के नहीं रहने से पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कमरे/हॉल, चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति

*2162. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड बोधगया के ग्राम पंचायत-गाफा खुर्द के ग्राम-खरसौत की जनसंख्या 500 है एवं ग्राम पंचायत-मोचारिम के ग्राम-छोटकी बभनी की जनसंख्या 550 रहने के बावजूद भी प्राथमिक विद्यालय के अभाव में छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम पंचायत-गाफा खुर्द के ग्राम-खरसौत एवं ग्राम पंचायत-मोचारिम के ग्राम-छोटकी बभनी में नये प्राथमिक विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2163. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई के +2 उच्च विद्यालय, ठाड़ी का भवन निर्माण कार्य अबतक नहीं होने से छात्र-छात्राओं को शिक्षा अध्ययन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित +2 विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि देना

*2164. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्रीमती लालसा देवी, पति-सर्वजीत सहनी, ग्राम-जागिरिटोला, प्रखंड+थाना+जिला-गोपालगंज MDM अन्तर्गत गोपालगंज जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के प्रा०वि० कमल के टोला, जागीरी टोला में रसोइया के पद पर कार्यरत थी तथा दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को बीमारी के कारण इनका असामयिक निधन हो गया हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि रसोइया के बीमारी के कारण असामयिक निधन के स्थिति में आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देय राशि का भुगतान नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रसोइया के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*2165. डॉ० कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिले के बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत आनेवाले प्रखंडों बरबीघा एवं शेखोपुर सराय के किसी भी पंचायत में एक भी खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे इन क्षेत्रों के बच्चों एवं खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बरबीघा विधान सभा क्षेत्र के उक्त वर्णित प्रखंडों में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2166. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना अंतर्गत फतेहपुरवाला, वार्ड नं० 06 के निवासी श्री संजीत कुमार, उम्र 18 वर्ष, पिता-चंदेश्वर की मृत्यु अज्ञात वाहन के ठोकर से दिनांक 22 अक्टूबर, 2023 को हुयी थी, जिसका ताजपुर थाना कांड सं० 618/23 है एवं चन्दन साह, पिता-रामबाबू साह, ग्रा०-रहियाही, प्रखंड मोरवा की मृत्यु वाहन से ठोकर लगने के कारण दिनांक 31 जुलाई, 2023 को हो गयी थी, जिसका ताजपुर थाना कांड संख्या 379/23 है एवं उक्त पीड़ितों के परिजनों को सरकारी मुआवजा राशि अभीतक नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पीड़ितों के परिजनों को कबतक मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2167. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट के पंचायत राज संगवाडीह (चैलवा) में अबतक खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है जिस कारण खेलप्रेमियों एवं युवाओं को खेल अभ्यास करने में परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान पर कबतक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय महोत्सव का आयोजन

*2168. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खुसरूपुर स्थित प्राचीन श्री गौरी शंकर बैकुंठ नाथधाम में प्रतिवर्ष धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे राजकीय महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित कराने एवं आयोजन हेतु प्रतिवर्ष 10,00000/-रु० (दस लाख) का अनुदान सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*2169. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोले जायेंगे, यदि हाँ, तो पश्चिम चंपारण जिला के बगहा (2) तथा पिपरासी प्रखंड में कबतक स्नातक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2170. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौंदा प्रखंड के गुंजश्वरी विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज, रूकून्दीपुर में छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक है, परन्तु विद्यालय में पर्याप्त भवन नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन निर्माण

*2171. श्री मनोज कुमार (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के अरवल प्रखंड अन्तर्गत सैदपुर महादलित टोला अनजान बीघा में अबतक जनहित में सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस महादलित टोला में सामुदायिक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करना

*2172. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज, भागलपुर सहित तीन इंटरस्तरीय कॉलेजों को NCMEI, Govt. of India द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थानों द्वारा वर्ष 2024 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शिक्षा विभाग, बिहार में अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने हेतु आवेदन दिया गया है, लेकिन उक्त विभाग द्वारा अबतक उक्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज, भागलपुर सहित उक्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2173. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के छाजन पूर्वी पंचायत के उ० म० वि०, तेलीया में चहारदीवारी नहीं है, जिसके कारण जानवर अंदर प्रवेश कर जाते हैं कभी भी हादसा हो सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में कबतक चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संचालित कराना

*2174. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बतरदेह के चैनपुर टोला वार्ड नं० 14 में पूर्व में प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण इसे मध्य विद्यालय, सलोना में शिफ्ट किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के ग्राम पंचायत बतरदेह के चैनपुर टोला वार्ड नं० 14 में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य विगत 1 वर्ष पूर्व ही पूर्ण किया जा चुका है, फिर भी चैनपुर टोला वार्ड नं० 14 के छात्र-छात्राएँ लगभग 3 किलो मीटर की दूरी तय कर पठन-पाठन हेतु मध्य विद्यालय, सलोना में जाने को विवश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना करते हुए विद्यालय को शीघ्र अपने भवन में संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि

*2175. श्री राहुल कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा अन्तर्गत डी० के० कॉलेज के स्नातक वर्ष 2019-22 के इतिहास, कॉमर्स और उर्दू विषय के स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विषयों के छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2176. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के मैदानी भागों में नीलगाय, चीतल एवं हिरणों का प्रवास तेजी से बढ़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन वन्यजीवों के कारण किसानों के फसलों सहित जान-माल का खतरा बढ़ गया है एवं इन वन्य प्राणियों के अचानक सड़क पर आने से अक्सर दुर्घटनाओं में मौत हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदानी क्षेत्रों से इन वन्य प्राणियों को पकड़कर, कैमूर पहाड़ी आश्रयणी क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षित पहुँचाने एवं फसल क्षति सहित दुर्घटनाओं को रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सीटों की स्वीकृति

*2177. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय विधान सभा क्षेत्र के बरौली प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित +2 विद्यालय, मिर्जापुर चाँद (विद्यालय कोड 84112) संचालित है, जिसमें इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय में 120, कला संकाय में 120 एवं वाणिज्य संकाय में 120 सीटें कुल 360 सीटें स्वीकृत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 की मैट्रिक परीक्षा में उक्त विद्यालय से लगभग 600 छात्र-छात्राएँ उत्तीर्ण हुए है, परन्तु इंटरमीडिएट के विज्ञान एवं कला संकाय में कुल 240 सीटें ही उपलब्ध है एवं वाणिज्य संकाय में छात्रों की रूचि नगण्य होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों उत्तीण छात्र अपने ही विद्यालय में विज्ञान और कला संकाय में नामांकन से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त +2 विद्यालय के इंटरमीडिएट में विज्ञान एवं कला संकाय में 120-120 अतिरिक्त सीटों की स्वीकृति प्रदान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनवाना

*2178. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के निवासी महान फुटबॉलर श्री मेवालाल ने अन्तर्राष्ट्रीय फुटबॉल के खेल में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलवाया था, यदि हाँ, तो सरकार महान फुटबॉलर मेवालाल की स्मृति में नवादा जिले राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर की स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य कराना

*2179. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड में ग्राम पंचायत अन्तीचक ग्राम-भवानीपुर में वर्ष 1919 ई० में स्थापित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में सिर्फ 04 (चार) वर्ग कक्ष जो जर्जर अवस्था में है, साथ ही विद्यालय में शौचालय, स्वच्छ पेयजल व चहारदीवारी की व्यवस्था भी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त 08 (आठ) कक्ष का निर्मण के साथ शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध के साथ चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण कराना

*2180. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित माध्यमिक +2 विद्यालय, रामकरण पकड़ी में भवन की कमी है जिससे वर्ग 9 से 12 के कक्षा संचालन में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में भवन निर्माण के लिए भूमि पर्याप्त है जिसका खाता 117, खेसरा 576, रकबा 1 एकड़ 36 डिसमिल है एवं इस संदर्भ में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के पत्रांक 46, दिनांक 12 जनवरी, 2026 के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को अवगत कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल स्टेडियम का निर्माण

*2181. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बारसोई एवं बलरामपुर प्रखंडों में अबतक किसी भी सरकारी योजना के अन्तर्गत 'प्रखंड स्तरीय स्टेडियम' अथवा 'खेल परिसर' का निर्माण नहीं कराया गया है जिससे इन क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास और अपनी प्रतिभा निखारने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है, जिससे वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पिछड़ रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार 'मुख्यमंत्री खेल विकास योजना' के अंतर्गत इन दोनों प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*2182. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के सुखासन पंचायत में चकला पीताम्बर गाँव में विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को 4 कि०मी० की दूरी तय करके अन्य विद्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गांव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय

*2183. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत गिद्धौर प्रखंड में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है तथा आर्थिक अभाव के कारण बहुत से परिवार के बच्चे/बच्चियाँ उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार गिद्धौर में एक डिग्री महाविद्यालय कबतक खोलना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रयोगशाला का निर्माण

*2184. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज प्रखंड के राजकीय +2 हाई स्कूल, मुरगाँव में अबतक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि यहां 500 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, फिर भी भवन निर्माण तथा विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं रहने से छात्र/छात्राओं को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त +2 हाई स्कूल में भवन तथा विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन देना

*2185. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समाज कल्याण विभाग में लोक उपक्रम/निगम/बोर्ड में कार्यरत कर्मियों को आई०सी०डी०एस० परियोजना प्रबंधन कोषांग में लिपिक एवं परिचारी के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभागीय पत्रांक 7734, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को 98 कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति तिथि से पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभ दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त लिपिक को बाल विकास परियोजना कार्यालय, पकड़ीबरावां, नवादा के पत्रांक 163, दिनांक 24 अप्रील, 2025 द्वारा सेवा सम्पुष्ट कर आई०सी० डी०एस० निदेशालय, बिहार पटना को पत्र भेजने के उपरान्त भी पेंशन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त लिपिक को पेंशन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना

*2186. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी जी के कार्य आधारित एवं जीवनोपयोगी शिक्षा दर्शन के अन्तर्गत बिहार में 1950-60 के दशक से स्थापित बुनियादी विद्यालयों का उद्देश्य बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ कुटीर उद्योग, कृषि, बुनाई, इत्यादि जीवनोपयोगी कौशलों से जोड़ना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जाले विधान सभा क्षेत्र के जाले प्रखण्ड स्थित दोघरा में बुनियादी विद्यालय का भवन जर्जर है और छात्रों की सुरक्षा व शिक्षा दोनों खतरे में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन के पुनर्निर्माण, कौशल आधारित शिक्षा की पुर्नबहाली एवं बुनियादी विद्यालयों को विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदानों का निर्माण

*2187. श्रीमती छोटी कुमारी (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा विधान सभा क्षेत्र के रिविलगंज प्रखंड के इनई ग्राम में सिंथेटिक वॉलीबॉल खेल मैदान का निर्माण एवं राजपूत उच्च विद्यालय के प्रांगण में एथलेटिक्स खेल मैदान की अत्यंत आवश्यकता है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त खेल मैदान निर्माण को कबतक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का स्थानांतरण

*2188. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग ने पत्रांक 62/गो०, दिनांक 5 अगस्त, 2025 से जिले के अन्दर पदस्थापित शिक्षकों (विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक) का जिला स्तरीय स्थानांतरण हेतु जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति को निर्देश दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुयी विभागीय समीक्षात्मक बैठक के पश्चात् अपने पत्रांक 140/गो०, दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 से जिले के अंदर पदस्थापित शिक्षकों (विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक) को जिला स्तरीय स्थानांतरण हेतु जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति को छात्र-शिक्षक अनुपात को दृष्टिपथ रखते हुये स्थानांतरण करने हेतु निर्देश दिया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मधुबनी जिले में उक्त पत्रों के आलोक में कितने विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापकों को जिला स्तरीय स्थानांतरण किया है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*2189. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत स्थानीय निकाय कोटि में नियुक्त शिक्षकों को सितम्बर, 2020 से ई०पी०एफ०(EPF) का लाभ देय है किन्तु अबतक उनके ई०पी०एफ० खाते में नियमित रूप से राशि जमा नहीं की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कई शिक्षकों के ई०पी०एफ० खाते में 4 माह से लेकर 18 माह तक की राशि लंबित है, जिससे शिक्षकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में सभी लंबित ई०पी०एफ० राशि का भुगतान करते हुये विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों में मशीने लगवाना

*2190. श्रीमती करिश्मा (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 मई में राज्य के सभी मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिये सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इन्सीनरेटर लगाने का आदेश दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि परसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अधिकांश विद्यालयों में आजतक ये मशीने स्थापित नहीं की गयी है, जिससे छात्राओं को स्वास्थ्य और शैक्षणिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार परसा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में मशीनें कबतक लगवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*2191. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत नौहट्टा प्रखंड में हर साल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र-छात्राएं डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नौहट्टा प्रखंड का सात पंचायत कोसी बांध के अंदर है एवं कोसी बांध के अंदर के छात्र-छात्राएं इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण जिला मुख्यालय में जाकर पढ़ाई करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड कोसी बांध के अंदर डरहार गांव में जगह चिन्हित कर सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2192. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 07/वेतन/08/2029-733, दिनांक 27 जुलाई, 2021 जो सुपौल जिला के उत्क्रमित म०वि० तेतीरही प्रखंड पिपरा के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव को सेवांत लाभ देने से संबंधित है, उसका अनुपालन नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

निर्माण कराना

*2193. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, छालीदोहर (सहियार) में कुल 375 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में आस-पास के 20 गांवों के दलित, महादलित परिवारों के बच्चें पढ़ते हैं, वर्तमान में उक्त विद्यालय में विद्यमान कुल 7 कमरें में 3 कमरें में कक्षा 1 से 8 एवं 3 कमरें में कक्षा 9 एवं 10 तथा शेष 1 कमरें में कार्यालय के कार्य का निष्पादन हो रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में भवन के अभाव के कारण आस-पास के गांव के कई बच्चे को 14-15 कि०मी० दूर मदनपुर जाना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं के अनुपात में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*2194. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के सरमेरा प्रखंड के ग्राम चेरी में उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन निर्माण का कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन निर्माण का कार्य मानक के अनुसार एक वर्ष पूर्व ही पूरा हो जाना चाहिये था तथा निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन निर्माण का कार्य पूरा कराने के साथ-साथ कार्य में हुये विलंब आदि की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं का लाभ देना

*2195. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी एवं पीरो प्रखंड में महादलित लाभार्थियों हेतु शिविर लगाकर समग्र सेवा अभियान चलाया जा रहा है ;.

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में शिविर में चयनित महादलित लाभार्थियों को समाजिक सुरक्षा, आवास, पेयजल सहित अन्य 22 योजनाएं समय पर प्राप्त नहीं हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में महादलित समुदाय को योजनाओं का लाभ कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि समग्र सेवा अभियान में 20 कल्याणकारी योजनाओं के विरुद्ध 17 योजनाओं में प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन कर लिया गया है। शेष 03 योजनाओं के लंबित आवेदनों को नियमानुसार निष्पादन किया जा रहा है।

सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं में औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में नामांकन, आँगनबाड़ी सेवाएं, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र इत्यादि आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन कर लिया गया है शेष अन्य योजनाओं जैसे उज्जवला योजना, वास-भूमि, आधार कार्ड का निरंतर समीक्षा एवं अनुश्रवण कर नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने की कार्रवाई की जा रही है।

पटना :
दिनांक 24 फरवरी, 2026 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० - 40 (एल०ए०), 2025-26 डी०टी०पी०-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026